रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73 REGISTERED NO. [redacted]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 1979/माघ 14, 1900
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1979/MAGHA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1978

का. आ. 361—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 2-विजयपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री फोसू, ग्राम व पो. पांचो, तहसील विजयपुर, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस सफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री फोसू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म.प्र.-वि.स./2/77]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 30th November, 1978

S.O. 361.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Phosoo, Village and P.O. Pancha, Tehsil Vijaypur, District Morena, Madhya Pradesh, who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 2, Vijaypur held in June 1977 has faild to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any satisfactory reason or explanation for the failure and, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Phosoo to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/2/77]

का. आ. 362.—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 172-राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री डोमार सिंह साहू, ग्राम हल्दी, पो. सिंघोला तह. व जिला राजनांदगांव, मध्य प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री डोमार सिंह साहू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म.प्र.-वि.स./172/77]

S.O. 362.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Domor Singh Sahu, Village Haldi, P.O. Singhola, Tehsil and District Rajnandgaon (Madhya Pradesh) who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 172-Rajnandgaon held in June 1977 has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said shri Domor Singh Sahu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/172/77]

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1978

का. आ. 363.—निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो चुका है कि जून 1977 में हुए, विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 174-खैरागढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हनुमान भैया, पो. खैरागढ़ (राज.) मोहल्ला जमालपारा, मकान सं. 33, जिला राजनांदगांव, मध्य प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हनुमान भैया को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म. प्र.-वि.स./174/77]

New Delhi, the 5th December, 1978

S.O. 363.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hanuman Bhaiya, P.O. Khairagarh (Rajasthan), Mohalla Jamalpara, House No. 33, District Rajnandgaon (Madhya Pradesh), who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 174-Khairagarh held in June 1977 has failed to lodge, an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hanuman Bhaiya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/174/77]

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1978

का. आ. 364.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 2-अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जोगिन्दरपाल सिंह कुन्दरा, 1562/5, कूचा नारायण सिंह, चौक परागदास, अमृतसर (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जोगिन्दरपाल सिंह कुन्दरा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-लो.स./2/77]

New Delhi, the 12th December, 1978

S.O. 364.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Joginder Pal Singh Kundra, 1562/5, Kucha Narain Singh, Chowk Parag Dass, Amritsar (Punjab) a contesting candidate for general election to the House of the People, Punjab, held in March, 1977 from 2-Amritsar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Joginder Pal Singh Kundra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-HP/2/77]

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1978

का. आ. 365.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 164-करवहा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पाटिल रामदास मुकुंदा, मार्फत श्रीमती कमला देवी खारे, खाटिकपुरा दरवाह (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफल के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पाटिल रामदास मुकुंदा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. महा. वि. स./164/78(27)]

New Delhi, the 16th December, 1978

S.O. 365.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patil Ramdas Mukunda, C/o Smt. Kamladevi Khare, Khatikpura Darwha (Maharashtra), a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 164-Karwha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Patil Ramdas Mukunda to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/164/78(27)]

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1978

का. आ. 366.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 120-अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्रीवास शंभुदयाल बाबुलाल, निवासी तिलक, वार्ड नं. 7, परलवाड़ा, तालुक अचलपुर, जिला अमरावती लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्रीवास शंभुदयाल बाबुलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. महा वि. स./120/78(29)]

New Delhi, the 19th December, 1978

S.O. 366.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shrivas Shambhudayal Babulal, r/o Tilak Ward No. 7; Paratwada, Taluka Achalpur, District Amravati, Maharashtra a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 120-Achalpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shrivas Shambhudayal Babulal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/120/78(29)]

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1978

का. आ. 367.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 100-बाघा पूर्णा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बिअन्त सिंह, ग्राम मनके, तहसील मोगा, जिला फरीदकोट (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके

पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बिअन्त सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-वि.स/100/77]

New Delhi, the 21st December, 1978

S.O. 367.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Beant Singh, Village and P. O. Manuke, Tehsil Moga, District Faridkot (Punjab) a contesting candidate for general election to the Punjab Legislative Assembly held in June, 1977 from 100-Baghapurana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Beant Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/100/77]

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1978

का. आ. 368.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 206-बोहानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अशोक कुमार गजेन्द्र सिंह, ग्राम व पो. बिलहेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अशोक कुमार गजेन्द्र सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म.प्र. वि.स./206/77]

New Delhi, the 23rd December, 1978

S.O. 368.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ashok Kumar Gajendra Singh, Village Bilehra, P. O. Bilehra, Tehsil Gaudarware, Distt. Narsinhapur (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 206-Bohani constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ashok Kumar Gajendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/206/77]

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1979

का. आ. 369.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से श्री एच. एस. दुबे, जिनकी छुट्टी मंजूर की गई है के स्थान पर श्री पी. पी. श्रीवास्तवा, आई. ए. एस. वित्त आयुक्त को उनके कार्य भार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं. 154/हि. प्र./79]

New Delhi, the 5th January, 1979.

S.O. 369.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consulation with the Government of Himachal Pradesh hereby nominates Shri P. P. Srivastava, IAS, Financial Commissioner, as the Chief Electoral Officer for the State of Himachal Pradesh with effect from the date the takes over charge and until further orders vice Shri H. S. Dubey granted leave.

[No. 154/HP/79]

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1979

का. आ. 370.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से श्री सुरेन्द्र नाथ के स्थान पर श्री ए. जे. कुन्दन, आई. ए. एस., मुख्य सचिव को तारीख 4 दिसम्बर, 1978 से अगले आदेशों तक मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं. 154/मिजो/78]

New Delhi, 8th January, 1979.

S.O. 370.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the

People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Administration of Union Territory of Mizoram hereby nominates Shri A.J. Kundan, IAS Chief Secretary as Chief Electoral Officer for the Union Territory of Mizoram with effect from the 4th December, 1978 and until further orders vice Shri Surendra Nath.

[No. 154/MIZ/78]

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1979

का. आ. 371.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिल नाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 4-पार्क टाउन निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लक्ष्मीचन्द सखलेचा, 93-मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास-1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लक्ष्मीचन्द सखलेचा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना. वि. सं. 4/77(5)]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

New Delhi, the 10th January, 1979

S.O. 371.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Likmichand Sakhlecha, 93, Mint Street, Madras-1, a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 4-Park Town assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Likmichand Sakhlecha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/4/77(5)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1979

का. आ. 372.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विभागों को जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

[संख्या 12022/1/78-रा. भा. (ख-2)]

हरिबाबू कंसल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 17th January, 1979

S.O. 372.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Department, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Department of Personnel and Administrative Reforms.

[No. 12022/1/78-O.L. (B-2)]

H.B. KANSAL, Dy. Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1978

शुद्धिपत्र

का. आ. 373.—भारत सरकार के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3(2) दिनांक 20-1-1979 में सा. का. नि 214 के रूप में प्रकाशित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 25011/51/77-अ. भा. से. (2) दिनांक 1 जनवरी, 1979 के कालम 1(1) के सामने तत्स्थानी प्रविष्टियां :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) छटा संशोधन नियम, 1979 है ।

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां पढ़ें :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एंव सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) पहला संशोधन नियम, 1979 है ।

[संख्या 25011/51/77-अ. भा. से. (2)]

साधू राम वर्मा, डेस्क अधिकारी

(Department of Personnel and A. R.)

New Delhi, the 23rd January, 1979

CORRIGENDUM

S.O. 373.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. 25011/51/77-AIS (II), dated the 1st January, 1979, published at G.S.R. No. 214 in the Gazette of India Part II Section 3(ii) dated the 20th January, 1979, for the existing entries in para 1(1) ;

"These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Sixth Amendment Rules, 1979."

The following shall be substituted :—

"These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) First Amendment Rules, 1979."

[No. 25011/51/77-AIS(II)]

S. R. VERMA, Desk Officer

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1979

का. आ. 374.—केन्द्रीय सरकार, दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना फा. सं. 11/6/74-वक्फ, तारीख 16 मार्च, 1978 के अनुसरण में, दरगाह समिति, अजमेर, से परामर्श करने के पश्चात, श्री महमूद अली खां, सेवा-निवृत्त उप कलक्टर, उत्तर प्रदेश को 22 जनवरी, 1979 को और उस से एक वर्ष की और अवधि के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर, के नाजिम के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11/6/74-वक्फ]

अस्लम महमूद, उप सचिव (वक्फ)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 19th January, 1979

S.O. 374.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of secion 9 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) F. No. 11/6/74-Wakf, dated the 16th March, 1978, the Central Government in consultation with the Durgah Committee, Ajmer, hereby appoints Shri Mahmood Ali Khan, retired Deputy Collector, Uttar Pradesh, as Nazim, Durgah Khawaja Saheb, Ajmer, for a further period of one year with effect on and from the 22nd January, 1979.

[F. No. 11/6/74-Wakf]

ASLAM MAHMUD, Dy. Secy. (Wakf)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1978

आय-कर

का. आ. 375.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न सूची में उल्लिखित संस्थाओं को विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है।

यह अधिसूचना 14 मार्च, 1978 से प्रभावी होगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(2) के अधीन अनुमोदित मा. कृ. अ. प. के अनुसंधान संस्थानों की सूची

संस्थाएं

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110002.
2. केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान, जोधपुर-342001 (राजस्थान)
3. कपास प्रौद्योगिक अनुसंधान, प्रयोगशाला, अडेनवाला रोड़ माटुंगा, मुम्बई-400019 (महाराष्ट्र)
4. केन्द्रीय कपास अनुसंधान 151/ए शिवशंकर शुक्ला मार्ग सिविल लाइन, नागपुर-440001
5. भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर झांसी रोड, झांसी-284001
6. जूट कृषि अनुसंधान, 24-परगना, डाक घर, बैरकपुर-743101 (प. बंगाल)
7. जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, 12-रिजेन्ट पार्क, कलकत्ता-700041 (पं. बंगाल)
8. भारतीय फलोद्यान अनुसंधान, संस्थान, 255 अपर पैलेस अर्चिड्स, बंगलौर-560006.
9. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, डाकघर नामकुम, रांची-834010 (बिहार)
10. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला-171001 (हि. प्र.)
11. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक-750006
12. केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, डाकघर-कुडलू, कासारगाड-671124 (केरल)
13. केन्द्रीय मृदा-लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001 (हरियाणा)
14. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, डाकघर— दिलकुशा, लखनऊ-226002 (उ. प्र.)
15. गन्ना प्रजनन संस्थान लावले रोड, कोयम्बटूर-641007 (तमिलनाडु)
16. केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान, श्रीकारियम, त्रिवेन्द्रम-695017 (केरल)
17. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री-533101
18. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, 218 कौलागढ़ रोड, देहरादून -248195 (उ. प्र.)
19. केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान अतिरिक्त, ए. ब्लाक दूसरी मंजिल, गुरु तेग बहादुर काम्प्लेक्स टी टी नगर भोपाल-462003
20. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर-पुर-743101 (प. बंगाल)
21. राष्ट्रीय दुग्ध उद्योग अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001 (हरियाणा)
22. केन्द्रीय अंतर्देशीय मीन उद्योग अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर-743101 (पं. बंगाल)
23. केन्द्रीय समुद्री मीन उद्योग अनुसंधान संस्थान, पो. बा. सं. 1912, विसेकट रोड, कोचीन-682018 (केरल)
24. केन्द्रीय मीन उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान, डाकघर मत्स्य-पुरी, कोचीन-682029 (केरल)
25. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, डाकघर, अविकानगर-304501 (राजस्थान)
26. कृषि संख्यकी अनुसंधान, लाइब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-110012
27. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अलमोड़ा-263601 (उ. प्र.)

28. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो, भा. कृ. अ. सं. कॅम्पस, नई दिल्ली-110012

29. राष्ट्रीय आनुवंशिक स्त्रोत ब्यूरो भा. कृ. अ. सं. कॅम्पस, नई दिल्ली-110012

30. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान कम्प-लॅक्स अमृत भवन, शिलांग-793001

31. तिलहन अनुसंधान निदेशालय, 'डी' ब्लाक कृषि महा-विद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030

32. परियोजना निदेशालय, अखिल भारतीय शुष्क भूमि कृषि समन्वय अनुसंधान परियोजना, आम्बरपेट, हैदराबाद-500030

33. परियोजना निदेशालय, अखिलभारतीय चावल विकास समन्वय अनुसंधान परियोजना, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030

34. परियोजना निदेशालय, अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान समन्वय परियोजना, भा. कृ. अ. सं., नई दिल्ली-110012

35. परियोजना निदेशालय, अखिल भारतीय दाल अनुसंधान समन्वय परियोजना क्षेत्रीय केन्द्र भा. कृ. अ. सं., कानपुर-उ. प्रदेश

[सं. 2579/फा. सं. 203/56/78-आ. क. अ-2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 15th November, 1978

INCOME TAX

S.O. 375.—It is hereby notified for general information that the institutions mentioned in the list have been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

This notification will be effective from 14th March, 1978.

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
'KRISHI BHAVAN' NEW DELHI-110001.

List of the ICAR Research Institutes approved under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTIONS

1. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110012.
2. Central Aid Zone Research Institute, Jodhpur-342001 (Rajasthan).
3. Cotton Technological Research Laboratory, Adenwala Road, Matunga, Bombay-400019. (Maharashtra).
4. Central Institute of Cotton Research, 151/A, Ravi Shankar Shukla Marg, Civil Lines, Nagpur-440001.
5. Indian Grassland & Fodder Research Institute, Gwalior Jhansi Road, Jhansi-284001.
6. Jute Agricultural Research Institute, 24-Parganas, P.O. Barrackpore-743101 (W.B.).
7. Jute Technological Research Laboratories, 12, Regent Park, Calcutta-700040. (W.B.)
8. Indian Institute of Horticultural Research, 255, Upper Palace Orchards, Bangalore-560006.
9. Indian Lac Research Institute, P.O. Namkum, Ranchi-834010. (Bihar).
10. Central Potato Research Institute, Simla-171001 (H.P.).
11. Central Rice Research Institute, Cuttack-753006.
12. Central Plantation Crops Research Institute, Post Kudlu, Kasaragod-670124 (Kerala).
13. Central Soil Salinity Research Institute, Karnal-132001. (Haryana).
14. Indian Institute of Sugarcane Research, P.O. Dilkusha, Lucknow-226002. (U.P.).
15. Sugarcane Breeding Institute, Lawley Road, Coimbatore-641007. (Tamil Nadu).
16. Central Tuber Crops Research Institute, Sreekariyam, Trivandrum-695017. (Kerala).
17. Central Tobacco Research Institute, Rajahmundry-533101.
18. Central Soil & Water Conservation Research and Training Institute, 218, Kaulagarh Road, Dehradun-248195. (U.P.).
19. Central Institute of Agricultural Engineering, Addl. A-Block, II Floor, Guru Tegh Bahadur Complex, T. T. Nagar, Bhopal-462003.
20. Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar-243122. (U.P.).
21. National Dairy Research Institute, Karnal-132001 (Haryana).
22. Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore-743101. (W.B.).
23. Central Marine Fisheries Research Institute, P.B. No. 1912, Vincent Road, Cochin-682018. (Kerala).
24. Central Institute of Fisheries Technology, P.O. Matesyapuri, Cochin-682029. (Kerala).
25. Central Sheep & Wool Research Institute, P.O. Avikanagar-304501. (Rajasthan).
26. Institute of Agricultural Research Statistics, Library Avenue, New Delhi-110012.
27. Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Shala, Almore-263601. (U.P.).
28. National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, IARI Campus, New Delhi-110012.
29. National Bureau of Plant Genetic Resources, IARI Campus, New Delhi-110012.
30. ICAR Research Complex for North Eastern Hills Region, Amrit Bhavan, Shillong-793001.
31. Directorate of Oilseeds Research, 'D' Block, College of Agriculture, Rajendranagar, Hyderabad-500030.
32. Project Directorate, All India Coordinated Research Project on Dryland Agriculture, Amberpet, Hyderabad-500030.
33. Project Directorate, All India Coordinated Research Rice Improvement Project, Rajendranagar, Hyderabad-500030.
34. Project Directorate, All India Coordinated Research Project on Wheat, I.A.R.I., New Delhi-110012.
35. Project Directorate, All India Coordinated Research Project on Pulses, Regional Station, I.A.R.I. Kanpur-U.P.

[No. 2579/F. No. 203/56/78-ITA-II]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1978

का. आ. 376.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न लिखित संस्था को विहित प्राधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था

एग्रिकलचरल इंस्टिट्यूट कोसवाड-हिल, थाना (महाराष्ट्र)

यह अधिसूचना 1-5-78 से 30-4-1980 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 2584/फा. सं. 203/154/78-आ. क. अ. 2]

New Delhi, the 20th November, 1978

S.O. 376.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Agricultural Institute, Kosbad-Hill, Thana (Maharashtra).

This notification is effective for a period of 2 years from 1st May, 1978 to 30th April, 1980.

[No. 2584/F. No. 203/154/78-ITA.II]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

का. आ. 377.—इस विभाग की अधिसूचना सं. 1346 (फा. सं. 203/43/76-आई टी ए 2), तारीख 5 जून, 1976 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली ने, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(2) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) कैप्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में 'वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन' प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुमोदित कर दिया है, अर्थात् :—

(1) यह कि संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपने द्वारा प्राप्त की गई राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणियां परिषद् को, ऐसे प्ररूप में जैसा इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक देगा।

संस्था

मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान, बंगलौर।

यह अधिसूचना 5-6-1978 से 4-6-1980 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

[सं. 2590/फा. सं. 203/136/78-आ. का. अ-2]

New Delhi, the 22nd November, 1978

S.O. 377.—In continuation of this Department's Notification No. 1346 F. No. 203/43/76-ITA.II, dated 5th June, 1976, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(1) That the Institution will maintain a separate Account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore.

This Notification is effective for a period of 2 years from 5th June, 1978 to 4th June, 1980.

[No. 2590/F. No. 203/136/78-ITA.II]

का. आ. 378.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

संस्था

इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, डवलपमेंट उ. प्र., लखनऊ

यह अधिसूचना तारीख 24-3-1978 से 23-3-1981 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 2591/फा. सं. 203/118/78-आ. क. अ. 2]

S.O. 378.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Institute of Management Development, U. P., Lucknow.

This notification is effective for a period of 3 years from 24-3-1978 to 23-3-1981.

[No. 2591/F. No. 203/118/78-ITA. II]

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1978

का. आ. 379.—इस विभाग की अधिसूचना सं. 1569 फा. सं. 203/167/76-आई टी ए 2, तारीख 30 नवम्बर, 1976 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(1) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान

के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

(1) यह कि संस्था, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगी।

(2) यह कि संस्था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

श्री मुलपुड़ी वेंकटरमनम्मा मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, तनुकु, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1978 से 29 नवम्बर, 1980 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं. 2592/फा. सं. 203/159/78 आई टी ए 2]

New Delhi, the 23rd November, 1978

S.O. 379.— In continuation of this Department Notification No. 1569 F. No. 203/167/76-ITA. II dated 30th November, 1976 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6(ii) of the Income Tax Rules 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(i) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(ii) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

Sree Mullapudi Venkataramanamma Memorial Hospital & Research Centre, Tanuku, West Godavari Distt. Andhra Pradesh.

This notification is effective for a period of 2 years from 30th November, 1978 to 29th November, 1980.

[No. 2592/F. No. 203/159/78-ITA II]

P. N. JHINGON, Under Secy.

का. आ. 380.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी ने, अर्थात्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने, निम्नलिखित संस्था को, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 (2) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

(1) यह कि संस्था, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगा।

(2) यह कि संस्था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

दि सोसायटी फार प्रिवेंशन आफ हार्ट डिजीज एण्ड रिहैबिलिटेशन, बाम्बे।

यह अधिसूचना 18 सितम्बर, 1978 से 17 सितम्बर, 1980 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं. 2593/फा. सं. 203/164/78-आई. टी. ए. 2]

पी. एन. झिंगन, अवर सचिव

S.O. 380.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-Section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(1) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

The Society for Prevention of Heart Disease and Rehabilitation, Bombay.

This notification is effective for a period of 2 years from 18th September, 1978 to 17th September, 1980.

[No. 2593/F. No. 203/164/78-I.T.A II]

P. N. JHINGON, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1979

का. आ. 381.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (44) के उप खण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतत्द्वारा, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 24-5-1976 की अधिसूचना संख्या 1330 (फा. सं. 404/124/76-आ. क. स. क.) में निम्नलिखित संशोधित करती है, अर्थात् : उक्त अधिसूचना में, "श्री पी. कृष्णामाचार्युलु और श्री एस. एस. वर्मा जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं", को कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "श्री एस. ए. वर्मा, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं", को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं. 2634 /फा. सं. 404/28/77 (आ.क.स.क.)]

New Delhi, the 3rd January, 1979

INCOME TAX

S.O. 381.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 1330 (F. No. 404/124/76-ITCC) dated 24-5-76 namely : In the said Notification for the words and letters "S/Shri P. Krishnamacharyulu and S. A. Verma who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers", the words and letters "Shri S. A. Verma who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer" shall be substituted.

[No. 2634/F. No. 404/28/77-ITCC]

का. आ. 382.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 23-8-1976 की अधिसूचना सं. 1449(फा. सं. 404/124/76-आ. क. स. क.) के अधिलंघन में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री ई. एस. टाइटस और श्री एम. जी. नायक को, उक्त अधिनियम के अधीन, कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री ई. एस. टाइटस और श्री एम. जी. नायक के कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 2632/फा. सं. 404/28/77-आ. क. स. क.]

एच. वेंकटरामन्, उप सचिव

S.O. 382.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 1449 (F. No. 404/124/76-ITCC) dated 23-8-1976, the Central Government hereby authorises Sarvshri E. S. Titus and M. G. Naik being gazetted officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Sarvshri E. S. Titus and M. G. Naik take over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 2632/F. No. 404/28/77-ITCC]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1979

का. आ. 383.—सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि :

(क) स्टेट बैंक आफ पटियाला की पालमपुर शाखा के प्रबन्धक श्री बी. एम. नेहरा को जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 38 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमालय बैंक लिमिटेड के समापन तथा इसकी परिसम्पत्तियों के वितरण के उद्देश्य से पुरानी निधि (ओल्ड फंड) के पदेन प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया था, 2 जनवरी, 1977 से उनके पालमपुर से स्थानान्तरण के फलस्वरूप, इस कार्यभार से मुक्त किया जाता है ।

(ख) 2 जुलाई, 1977 से 14 नवम्बर, 1977 की अवधि के दौरान इस निष्क्रिय बैंक का कार्यभार अस्थायी तौर पर स्टेट बैंक आफ पटियाला के सहायक लेखापाल श्री एस. के. शर्मा द्वारा सम्भाला गया था ।

(ग) श्री हरद्वारी लाल ने, जिन्हें कि श्री बी. एम. नेहरा के स्थान पर स्टेट बैंक आफ पटियाला की पालमपुर शाखा का प्रबन्धक नियुक्त किया गया था, 15 नवम्बर, 1977 को हिमालय बैंक लिमिटेड की पुरानी निधि (ओल्ड फंड) के पदेन प्रबन्धक के रूप में अपना कार्यभार सम्भाल लिया ।

[संख्या 4(2) बी. ओ. 3/77]

मै. भा. उसगांवकर, अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 17th January, 1979

S.O. 383.—It is hereby notified for the information of the general public that :

(a) Shri B. M. Nehra, Manager of Palampur branch of the State Bank of Patiala, who was appointed by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 38 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959) as the Manager Ex-Officio of the Old Fund of the Himalaya Bank Ltd., for the purposes of winding up of its affairs and distributing its assets, ceased to hold that office with effect from 2nd January 1977 consequent on his transfer from Palampur.

(b) The charge of the defunct bank was temporarily held by Shri S. K. Sharma Assistant Accountant of the Palampur branch of the State Bank of Patiala during 2nd July 1977 to 14th November 1977.

(c) Shri Hardwari Lal, who was appointed as Manager of the Palampur branch of the State Bank of Patiala in succession to Shri B. M. Nehra, took charge of his office as the Manager, Ex-Officio of the Old Fund of the Himalaya Bank Ltd., on the 15th November 1977.

[No. 4(2)-B. O. III/77]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1979

शुद्धि पत्र

का. आ. 384.—दिनांक 28 अक्तूबर, 1978 के एस. ओ. 3086 के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग 11, खंड 3 (11) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 की अधिसूचना संख्या 8-9/78-ए. सी. में 'को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक', 'विजयवाडा' शब्दों से पहले 'विजयवाडा' शब्द के स्थान पर 'विजियावाडा' शब्द प्रतिस्थापित माना जाये ।

[सं. 8-9/78-ए. सी.]

एम. पी. वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th January, 1979

ERRATA

S.O. 384.—In the Notification of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. 8-9/78-AC, dated the 17th October 1978 published in Part II-sub-Section (ii) of Section 3 of the Gazette of India dated the 28th October 1978 vide S. O. 3086, for the word 'Vijayawada', the word 'Vizianada' may be substituted, before the words 'Co-operative Central Bank, Vijayawada'.

[No. 8-9/78-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

(समाहर्ता कार्यालय सीमा-शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

कोचीन, 27 जून, 1978

सीमा शुल्क

का. आ. 385.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खण्ड (क) के अन्तर्गत जारी दिनांक 18-7-1975 की वित्त मंत्रालय सं. 79, सीमा-शुल्क, पत्र सं. 4-13/2/75-सी. शु.-7, के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52 वां) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, इस अधिसूचना द्वारा, केरल राज के कन्नोर जिले में स्थित कल्लेयसेरी गांव को, भांडागारण स्टेशन घोषित करता हूं ।

[सं. 1/सी. शु./78]

(Department of Revenue)

(Office of the Collector of Customs and Central Excise)

Cochin, the 27th June, 1978

CUSTOMS

S.O. 385.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with Ministry of Finance No. 79, Customs, F. No. 473/2/75 Cus. VII the Customs Act 1962 (52 of 1962), I hereby declare "Kal- the Customs Act 1962 (52 of 1962), I hereby declare "Kalliasseri Village" in the District of Cannanore in the Kerala State, as a warehousing Station."

[No. I/Cus./78]

कोचीन, 17 अगस्त, 1978

का०आ० 386.—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली 1944 के अध्याय 11क के अन्तर्गत नियम 185 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं दिनांक 14-8-70 की अधिसूचना सं० 6/70-के० उ० शु० में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हूं।

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न, सारणी में, उसमें विनिर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्रभारों की दरों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

सारणी

अधिकारियों का विवरण	किसी कार्य दिवस को प्रति घंटा अथवा उसके अंश के लिए शुल्क		रविवार अथवा अन्य छुट्टियों के दिन प्रति घंटा अथवा उसके अंश के लिए शुल्क	
	6 बजे (प्रातः) से 8 बजे (सायं) (रु०)	8 बजे (सायं) से 6 बजे (प्रातः) (रु०)	6 बजे (प्रातः) से 8 बजे (सायं) (रु०)	8 बजे (सायं) से 6 बजे (प्रातः) (रु०)
1	2	3	4	5
1. अधीक्षक, श्रेणी-II	11.00	15.00	17.00	22.00
2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक	8.00	11.00	12.00	16.00
3. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	3.00	4.00	5.00	6.00

सत्यापित

(वी० रेड्डी)

उप-समाहर्ता

[अधिसूचना सं० 5/78-के उ०श०/सी० सं० 4/16/234/78 के०उ०शु०-I]

टी० एस० स्वामीनाथन, समाहर्ता

Cochin, 17th August, 1978

S.O. 386—In exercise of powers conferred by sub-rule (2) of rule 185 under Chapter VIIA of the Central Excise Rules 1944, I hereby make the following amendment in the Notification No. 6/70 Central Excise dated 14-8-70.

In the Table annexed to the said Notification instead of the rates of supervision charges specified therein the following shall be substituted.

TABLE

Description of Officers	Fee per hour or part thereof on any working day		Fee pr hour or part thereof on any Sunday or other holidays	
	From 6 AM to 8 PM	From 8 PM to 6 AM	From 6 AM to 8 PM	From 8 PM to 6 AM
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5
1. Superintendent Class II	11.00	15.00	17.00	22.00
2. Inspector of Central Excise	8.00	11.00	12.00	16.00
3. Class IV Staff	3.00	4.00	5.00	6.00

Attested

(M.V. REDDY)

Deputy Collector

[Notification No. 5/78 CE/ C. No. IV/16/234/78 Cx-I]

T. S. SWAMINATHAN, Collector

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(समुद्री उत्पाद उद्योग विकास नियंत्रण)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1979

का०आ० 387.—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है :—

1. श्री एस० गोपालन, अध्यक्ष
   अध्यक्ष,
   समुद्री उत्पाद निर्यात
   विकास प्राधिकरण, एम
   जी रोड, एर्णाकुलम
   दक्षिण, कोचीन-16 ।

2. डा० टी० ए० माम्मेन, निदेशक, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एम० जी० रोड, एर्णाकुलम, कोचीन-16	पदेन सदस्य	
3. श्री वयलार रवि, सदस्य, लोक सभा ।	सदस्य	10 अगस्त, 1977 से
4. श्री शक्ति कुमार सरकार सदस्य, लोक सभा ।	सदस्य	
5. श्री पत्तीयन राजन, सदस्य, राज्य सभा 201-बी, 305 वि०पी० हाऊस, नई दिल्ली ।	सदस्य	
6. श्रीमती एस० एल० सिंगला संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य	कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधि
7. श्री एस० गुरुमूर्ति, निदेशक, वित्त प्रभाग, वाणिज्य विभाग ।	सदस्य	वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि
8. श्री अरुण कुमार, उप सचिव, वाणिज्य विभाग वाणिज्य मंत्रालय ।	सदस्य	वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि
9. उप सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय ।	सदस्य	उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि
10. श्री बी० के० पवार, जहाजरानी के उप महानिदेशक, जहाजरानी महानिदेशालय, बम्बई ।	सदस्य	जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि
11. निदेशक, मत्स्य पालन, तमिलनाडु सरकार, मद्रास ।	सदस्य	तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि
12. सचिव, मत्स्य पालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।	सदस्य	पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधि
13. सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग (पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन स्कंध), महाराष्ट्र सरकार, बम्बई	सदस्य	महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि
14. निदेशक, मत्स्य पालन, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य	आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि
15. आयुक्त, मत्स्य पालन, गुजरात सरकार, गांधी नगर, अहमदाबाद ।	सदस्य	गुजरात सरकार का प्रतिनिधि
16. सचिव, विकास, केरल सरकार त्रिवेन्द्रम	सदस्य	केरल सरकार का प्रतिनिधि
17. निदेशक, मत्स्य पालन, कर्नाटक सरकार, बंगलौर	सदस्य	कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि
18. सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।	सदस्य	उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि
19. श्री पी० एम० नायर, प्रशासक, लक्षद्वीप, मिनिकाय व अमीनदीव द्वीप समूह, कवारिती ।	सदस्य	लक्षद्वीप, मिनिकाय व अमीनदीव द्वीपसमूह का प्रतिनिधि
20. श्री आर०डी० पुसलकार, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया फिशरीज लि०, बम्बई	सदस्य	मत्स्य पोतों के मालिकों, प्रोसेसिंग संयंत्रों तथा समुद्री उत्पादों को स्टोर करने के स्थानों एवं समुद्री उत्पादों को लाने ले जाने के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाहनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
21. श्री पी० गंगाधरन पिल्ले, पोइलाकडा फिशरीज, लि०, क्विलोन ।	सदस्य	
22. श्री एम० महादेव राज प्रबंध साझेदार, कोरोनेट केनिंग कं०, मालपे, कर्नाटक ।	सदस्य	
23. डा० एफ० वी० एल्बिन, प्रबंध साझेदार, मेलाविल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरप्राइजेज, क्विलोन ।	सदस्य	
24. श्री सी० चेरियन, प्रबंध निदेशक, केमीन्स (रजि०), कोचीन	सदस्य	समुद्री उत्पादों का कारोबार करने वालों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
25. श्री टी० एस० जोसेफ, जार्ज मैंजो कं०, मद्रास	सदस्य	
26. रिक्त (बाद में घोषित की जाएगी) ।	सदस्य	समुद्री उत्पाद उद्योगों में कार्य कर रहे व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
27. डा० ई० जी० सिलास, निदेशक, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन ।	सदस्य	समुद्री उत्पाद उद्योग से संबंधित गवेषणाओं में लगे हुए गवेषणा संस्थानों में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
28. श्री सुबल मलिक, प्रबन्ध निदेशक, फड्स सी फूड्स लि०, कटक ।	सदस्य	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3)(ई) (6) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
29. श्री के० जे० हरबल, विधायक, केरल, कोचीन ।	सदस्य	
30. श्री एस० आर० बैनर्जी, एसोसिएटिड इंटरनेशनल कारपोरेशन, कलकत्ता ।	सदस्य	

2. अध्यक्ष, निदेशक तथा लोक सभा के 2 सदस्यों को छोड़कर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सभी सदस्य जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे । लोक सभा के दो सदस्य 10 अगस्त 1977 से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

[सं० 1/एम-16/78-इ०पी० (एग्री-1)]

एस० पी० अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

(MARINE PRODUCTS INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL)

New Delhi, the 25th January, 1979

S. O. 387.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972) read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby appoints the following persons to be Members of the Marine Products Export Development Authority :—

1. Shri S. Gopalan, Chairman, Marine Products Export Development Authority, M. G. Road, Ernakulam South, Cochin-16.	Chairman	
2. Dr. T. A. Mammen, Director, Marine Products Export Development Authority, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-16.	Member, Ex-Officio	
3. Shri Vayalar Ravi, Member of Lok Sabha	Member	With effect from 10th August, 1977.
4. Shri Shakti Kumar Sarkar, Member of Lok Sabha.	Member	
5. Shri Pattian Rajan, Member Rajya Sabha, 201-B, 305, VP House, New-Delhi.	Member	
6. Smt. S. L. Singla, Joint Secretary, Department of Agriculture, New-Delhi.	Member	To represent the Ministry of Agriculture.
7. Sbri S. Gurumurthy, Director, Finance Division, Ministry of Commerce.	Member	To represent the Ministry of Finance.
8. Shri Arun Kumar, Dy. Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce.	Member	To represent the Ministry of Commerce.
9. Deputy Secretary, Deptt. of Industrial Development, Ministry of Industry.	Member	To represent the Ministry of Industries.
10. Shri B. K. Pawar, Dy. Director General of Shipping, Directorate General of Shipping, Bombay.	Member	To represent the Ministry of Shipping and Transport.
11. Director of Fisheries, Government of Tamil Nadu, Madras.	Member	To represent the Govt. of Tamil Nadu.
12. Secretary, Deptt. of Fisheries, Govt. of West Bengal, Calcutta.	Member	To represent the Govt. of West Bengal.
13. Secretary, Deptt. of Agri. & Cooperation, (Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Wing), Govt. of Maharashtra.	Member	To represent the Govt. of Maharashtra.
14. Director of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Member	To represent the Govt. of Andhra Pradesh.
15. Commissioner of Fisheries, Govt. of Gujarat, Gandhinagar, Ahmedabad.	Member	To represent the Govt. of Gujarat.
16. Development Secretary, Govt. of Kerala, Trivandrum.	Member	To represent the Govt. of Kerala.
17. Director of Fisheries, Govt. of Karnataka, Bangalore.	Member	To represent the Govt. of Karnataka.
18. Secretary to the Govt. of Orissa, Bhubaneswar.	Member	To represent the Govt. of Orissa
19. Shri P. M. Nair, Administrator, Laccadive, Minicoy and Amindive Islands, Kavaritti.	Member	To represent the Union Territory of Laccadive, Minicoy and Amindive Islands.
20. Shri R. D. Pusalkar, Chairman and Managing Director, New-India Fisheries Ltd., Bombay.	Member	To represent the interests of the owners of fishing vessels, Processing Plants and Storage Premises for marine products and conveyance used for the trans port of marine products.
21. Shri P. Gangadharan Pillai, Poyilakada Fisheries Ltd. Quilon.	Member	
22. Shri M. Madhav Raj, Managing Partner, Coronot Canning Co., Malpe, Karnataka.	Member	
23. Dr. F. V. Albin, Managing Partner, Melavil Industrial and Commercial Enterprises, Quilon.	Member	
24. Shri C. Cherian, Managing Director, Chemmeens (Regd.), Cochin.	Member	To represent the interests of dealers in the marine products.
25. Shri T.M. Joseph, George Maijo Co., Madras	Member	
26. Vacant (to be announced later).	Member	To represent the interests of persons employed in the marine products industry.
27. Dr. E. G. Silas, Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin.	Member	To represent the interests of persons employed in Research Institutions engaged in the researches connected with marine products industry.
28. Shri Subal Malik, Managing Director, CI Foods Seafoods Ltd., Cuttack.	Member	To represent other interests under Section (3) (c) (VI) of MPEDA Act, 1972.
29. Shri K. J. Herschel, M.L.A., Kerala, Cochin.	Member	
30. Shri S. R. Banerjee, Associated International Corporation, Calcutta.	Member.	

2. All members of the Marine Products Export Development Authority named above, other than Chairman, Director and the 2 memneis of the Lok Sabha, shall held office for a period of three years from the date of publication of this Notification in the official gazette. The two members of the Lok-Sabha shall hold office for a period of 3 years from 10th August, 1977.

[No. 1 M-16/78-EP.(Agri. I)]

S. P. AGGARWAL, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

का. आ. 388.—संविधान के अनुच्छेद 258 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके मंत्रालय, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य सरकारों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से संबंधित प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की ओर से उक्त आयोग के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व को हस्तान्तरित करने हेतु अपेक्षित हस्तान्तरण प्रलेख को निष्पादित करने का काम सौंपते हैं।

[संख्या 9/1/70-ओ. एन. जी. 1 (डी-3)]

कुलदीप सिंह, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 1st January, 1979

S.O. 388.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of article 258 of the Constitution the President hereby entrusts to the Governments of the States of Meghalaya, West Bengal, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Punjab with the consent of the State Governments concerned the functions of the Central Government in regard to executing necessary deed of transfer for transferring the ownership of land acquired by the State Government concerned on behalf of the Central Government under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) for purposes connected with the Oil & Natural Gas Commission to the said Commission.

[No. 9/1/70-ONG. I(D. III)]

KULDIP SINGH, Desk Officer.

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1979

का. आ. 389.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 2692 तारीख अगस्त 1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिये प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० 90 से जी० जी० एस० III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए. आर ई	सेन्टीयर
पानसोली	215/4	0	02	63
	214/2	0	02	40
	214/1	0	04	80
	213/2	0	02	18
	218/2+3	0	09	85
	211/2	0	03	15
	211/1पी	0	02	53
	कार्ट ट्रेक	0	01	80
	220/2	0	06	83
	220/1	0	04	28
	223	0	04	80
	244/2	0	03	35
	244/1	0	04	50
	244/3	0	12	16
	245	0	05	10

[सं० 12016/8/78-ओ०]

New Delhi, the 15th January, 1979

S.O. 389.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2692 dated August 1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Suub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumberances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 90 to G.G.S. III

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Pansoli	215/4	0	02	63
	214/2	0	02	40
	214/1	0	04	80
	213/2	0	02	18
	218/2+3	0	09	85
	211/2	0	03	15
	211/1 P	0	02	53
	Cart track	0	01	80
	220/2	0	06	83
	220/1	0	04	28
	223	0	04	80
	244/2	0	03	35
	244/1	0	04	50
	244/3	0	12	16
	245	0	05	10

[No. 12016/8/78-Prod.]

का. आ. 390.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 2931 तारीख 15-9-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० डबका–5 से जी० सी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : पादरा–

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
गवासद	119/2	0	08	58
	118	0	06	76
	117	0	05	98
	कार्ट ट्रेक	0	01	82
	240	0	08	71
	245	0	04	16

[सं० 12016/8/78-प्रो०-I]

S.O. 390.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 2931 dated 15th August 1978 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And fuurther whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Right of User for Flow Line from Well No. DABKA-5 to GCS

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gavasad	119/2	0	08	58
	118	0	06	76
	117	0	05	98
	Cart Track	0	01	82
	240	0	08	71
	245	0	04	16

[No. 12016/8/78-Prod, II]

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1979

का. आ. 391.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर-6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तहसील : मथुरा	जिला : मथुरा	राज्य : उत्तर प्रदेश		
ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
भैंसा . .	446/1	0	40	47

[सं० 12020/1/79–प्रो०]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

New Delhi, the 17th January, 1979

S.O. 391.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6 ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Mathura District : Mathura State : Uttar Pradesh

Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Bhainsa	446/1	0	40	47

[12020/1/79-Prod]

S.M.Y. NADEEM, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1979

का० आ० 392.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वैधान स्थल सं० फ्लेअर पोइन्ट से तथा फ्लेअर पोइन्ट तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 3-9-77 से समाप्त कर दिया गया है ;

अतः अब पैट्रोलियम पाईप लाइन के नियम 4 (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य सभा कि तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

फ्लेअर पोइन्ट से नया फ्लेअर पोइन्ट तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	सईज	3357	25-11-78	3-9-77

[12016/5/78-प्रो०-1]

New Delhi, the 17th January, 1979

S. O. 392.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act,1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Flare Point to New Flare Point in Kalol oil field in Gujarat State;

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 3-9-1977;

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Flare Point to New Flare Point.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India.	Date of termination of operatoin
Petroleum, Chemicals & Fertilizer.	Saij	3357	25-11-1978	3-9-1977

[No. 12016/5/78-Prod-I]

का० आ० 393.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है कि और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वैधन स्थल सं० के-29 से मिल्ली जी० जी० एस० कूप नं० के-57 के पास तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 6-7-1977 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य सभा की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

के-29 से मिन्नी जी० जी० एस० कूप नं० के-57 के पास तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	भोयन राठोड	3359	25-11-78	6-7-1977

[सं० 12016/5/78-प्रो० 2]

S. O. 393.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. K-29 to Mini GGS at well No. K-57 in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 6-7-1977.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipelines from D.S. K-29 to Mini GGS at Well No. K-57

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Bhoyan Rathod	3359	25-11-78	6-7-1977

[No. 12016/5/78-Prod-II]

का० आ० 394.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० के० जे० बी०-123 से जी० जी० एस-VII तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक जुलाई 1969 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य सभा की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

के० जे० बी०-123 से जी० जी० एस०—VII तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	ऊवारसद	3453	2-12-78	जुलाई 1969

[सं० 12016/5/78-प्रो० 3]

S. O. 394. --Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. KJB-123 to GGS. VII in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on July, 1969.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of pipeline from D.S. KJB-123 to GGS VII.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Uvarsad	3453	2-12-78	July, 1969

[No. 12016/5/78-Prod. III]

का० आ० 395—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० एस० एन० के०-1 से जी० जी० एस०-1 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 15-6-76 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य सभा कि तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

एस० एन० के०-1 से जी० जी० एस० 1 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्यसमाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	कुडावरा	3452	2-12-78	15-6-76

[12016/5/78-प्रो०-4]

S. O. 395.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SNK-1 to GGS-1 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 15-6-76.

Now therefore under rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SNK-1 to GGS-1

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Kudadra	3452	2-12-78	15-6-76

[No. 12016/5/78-Prod.-IV]

का० आ० 396.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है कि और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० NKAP से जी० जी० एस०-कम सी० टी० एफ० काडी तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 31-8-77 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य सभा कि तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

एन० के०ओ०पी० गे जी०जी० एस०-कम सी०टी०एफ० काडी तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	चालासण सूरज बामरोली	3551	9-12-78	31-8-77

[12016/5/78-प्रो०-5]

S. O. 396.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. NKAP to GGS Cum CTF Kadi in Mehsana oil field in Gujarat State.

And where the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 31-8-77.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. NKAP to GGS -Cum-CTF Kadi

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer.	Chalasan Suraj Bamroli	3551	9-12-78	31-8-77

[No. 12016/5/78-Prod. V]

का० आ० 397—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता) के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० एस० सी० ए० एस० डी० एम० से एस० बी० एच० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-5-76 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य सभा कि तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

एस० सी० ए० एस० डी० एम० से एस० बी० एच० तक पाईप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्यसमाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	मेहसान नागलपुर कुक्कस	3542	19-11-77	28-5-76

[12016/5/78-प्रो०-6]

गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम अधिकारी

S.O. 397.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SCASDM to SBH in Mehsana field in Gujarat State

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 28-5-76.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SCA, SDM to SBH

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizers	Mehsana Nagal Pur Kukas.	3542	19-11-77	28-5-76

[No. 12016/5/78-Prod. VI]

Competent Authority under the Act for Gujarat

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1979

का०आ० 398.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 779, तारीख 21 फरवरी, 1977 द्वारा, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में खनिजों के खनन, खदान, वेधन, खुदाई और उनकी तलाशी, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ढोने के अधिकारों के अर्जन के आशय की सूचना दी थी ।

पूर्वोक्त क्षेत्र में खनन अधिकारों के अर्जन के बारे में सक्षम प्राधिकारी से कोई आपत्ति नहीं की गई है ;

केन्द्रीय सरकार का, महाराष्ट्र की राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त अनुसूची में वर्णित और नीचे अनुसूची में उद्धृत भूमि में खनिजों के खनन, खदान, वेधन, खुदाई और उनकी तलाशी, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ढोने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 758.81 एकड़ (लगभग) या 307.079 हैक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि में से खनिजों के खनन, खदान, वेधन, खुदाई और उनकी तलाशी, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ढोने के अधिकार इसके द्वारा अर्जित किए जाते हैं ;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक का निरीक्षण नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थित कलक्टर के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक, 1-कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित कार्यालय में, अथवा विसेमर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थित वेस्टर्न कोलफील्डस् लि० (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

काम्पटी ब्लाक "बी" विस्तारण

कामपटी कोयला क्षेत्र (महाराष्ट्र)

ड्राइंग सं० डब्ल्यू० सी० एल० 1 सी–1 (ई) IIIएफ आर. 151 0778
तारीख 14-4-78

खनन अधिकार (यह भूमि जिसमें खनिजों के खनन, खदान, वेधन, खुदाई, और उनकी तलाशी, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए गए हैं।)

क्र० सं०	ग्राम का नाम	मौजा सं०	ता०सी० सं०	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ों में) राजस्व भूमि	सरकारी भूमि	कुल एकड़	टिप्पण
1.	पिंपल	144	11	सौनेट.	नागपुर	614.34	64.62	678.96	भाग
2.	रनाला	183	9	,,	,,	44.57	6.39	50.96	भाग
3.	डहे गांव	108	4	,,	,,	27.89	1.00	28.89	भाग
					कुल क्षेत्रफल	686.80 एकड़ (लगभग) या 277.938 हैक्टेयर (लगभग)	72.101 एकड़ (लगभग) या 29.141 हैक्टेयर (लगभग)	758.81 एकड़ (लगभग) या 307.079 हैक्टेयर (लगभग)	

पिपलाग्राम में अर्जित प्लाटों के संख्यांक

2(पी), 3(पी), 4, 5, 6(पी), बी (पी), 10(पी), 11, 12(पी), 13 से 17, 18 (पी), 19 (पी), 24(पी), 25 से 33. 34 (पी), 35(पी), 36 से 38, 43(पी), 44 से 46, 47 (पी), 48 से 90 और 100 से 169 तक ।

रनाला ग्राम में अर्जित प्लाटों के संख्यांक

2(पी), 3,4(पी), बी(पी), 10(पी), 11 से 14, 15(पी), 94(पी), 95, 96, 97(पी), 101(पी), 102, 103 और 104(पी)

डहे गांव में अर्जित प्लाटों के संख्यांक

15 से 17 तक, 18(पी), 10(पी), 20(पी), 22(पी), 23(पी), और 24(पी)

सीमा वर्णन

क–ख—रेखा पिपलाग्राम के प्लाट सं० 2, 3, 6; 8, 12, 10, 34, 35, 43 और 47 से होकर जाती है और बिन्दु "ख" में मिलती है ।

ख–ग—रेखा भागतः पिपलाग्राम और बलनी ग्राम की साझी सीमा और भागतः पिपलाग्राम और रनाला ग्राम की साझी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" से मिलती है।

ग–घ—रेखा, रनाला ग्राम के प्लाट सं० 2, 4, 10, 8 से होकर जाती है और इसी ग्राम के प्लाट सं० 15 में बिन्दु "घ" से मिलती है।

घ–ङ—रेखा, रनाला ग्राम के प्लाट सं० 15, 94, 104, 101 और 97 तथा डहे ग्राम के प्लाट सं० 20, 19, 22, 18, 23 और 24 से होकर जाती है और बिन्दु "ङ" से मिलती है।

ङ–च—रेखा, पिपलाग्राम और डहे गांव ग्राम में सड़क की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "च" से मिलती है।

च–छ—रेखा, प्लाट सं० 90(सड़क) की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ प्लाट सं० 24 से आगे भागतः प्लाट सं० 17 (सड़क) की पश्चिमी सीमा और भागतः पिपलाग्राम के प्लाट सं० 19 और 18 से होकर जाती है और बिन्दु "छ" से मिलती है ।

छ–क—रेखा, का ग्रीताम और पिपलाग्राम की साझी सीमा के साथ-साथ जाती है और प्रारंभ बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19(67)/76–सी० एल]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 15th January, 1979

S.O. 398.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 779 dated the 21st February, 1977 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 758.81 acres (approximately) or 307.79 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas no objection was made to the acquisition of the mining rights in the locality aforesaid to the competent authority;

And whereas the Central Government after consulting the Government of Maharashtra, is satisfied that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands described in the said schedule and reproduced in the Schedule below, should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 758.81 acres (approximately) or 307.079 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the Office of the Western Coal fields Limited (Revenue Section), Bisesar House, Temple Road, Nagpur (Maharashtra).

SCHEDULE

KAMPTEE BLOCK 'B' EXTENSION

KAMPTEE COALFIELDS

Drg. No. WCL/C-1(E) III/F3/151.0778 dt. 14-4-78. (Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals are acquired).

MINING RIGHTS

Sl. No.	Name of village	Mouza No.	Police Chowki No.	Tahseel	District	Area in acres: Revenue land	Area in acres: Government land	Total acres	Remarks
1.	Pipla	144	11	Saoner	Nagpur	614.34	84.62	678.96	Part
2.	Ranala	183	9	Saoner	Nagpur	44.57	6.39	50.96	Part
3.	Dahegaon	108	4	Saoner	Nagpur	27.89	1.00	28.89	Part
			Total area :			686.80 acres (approximately) or 277.938 hectares (approximately)	72.01 acres (approximately) or 29.141 hectares (approximately)	758.81 acres (approximately) or 307.079 hectares (approximately)	

Plot number s acquired in village Pipla :

2(P), 3(P), 4, 5, 6(P), 8(P), 10(P), 11, 12(P), 13 to 17, 18(P), 19(P), 24(P), 25 to 33, 34(P), 35(P), 36 to 38, 43(P), 44 to 46, 47(P), 48 to 90 and 100 to 169.

Plot numbers acquired in village Renala :

2(P), 3, 4(P), 8(P), 10(P), 11 to 14, 15(P), 94(P), 95, 96, 97(P), 101(P), 102, 103 and 104(P).

Plot numbers acquired in village Dahegaon.

15 to 17, 18(P), 19(P), 20(P), 22(P), 23(P), and 24(P).

Boundary Description:

A-B	Line passes through plot Nos. 2, 3, 6, 8, 12, 10,34, 35, 43 and 47 of village Pipla and meets at point 'B'.
B-C	Line passes partly along the common boundary of villages Pipla and Walni and partly along the common boundary of villages Pipla and Renala and meets at point 'C'.
C-D	Line passes through plot Nos. 2, 4, 10, 8 of village Renala and meets at point 'D' in plot No. 15 of the same village.
D-E	Line passes through plot Nos. 15, 94, 104, 101 and 97 of village Ranala and through plot Nos. 20, 19, 22, 18, 23 and 24 of village Dahegaon and meets at point 'E'.
E-F	Line passes along the northern boundary of road in villages Pipla and Dahegaon and meets at point 'F'.
F-G	Line passes along the western boundary of plot No. 90 (road) and through plot No. 24 and proceeds further partly along the Western boundary of plot No. 17 (road) and partly through plot Nos. 19 and 18 of village Pipla and meets at point 'G'.
G-A	Line passes along the common boundary of villages Kaodas and Pipla and meets at starting point 'A'.

[No. 19(67)/76-CL]

S.R.A. RIZVI, Director.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1979

का. आ. 399.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 4, और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. आई डी आर ए/6/74, तारीख 22 अप्रैल, 1974 के अधीन नियुक्त सदस्यों के स्थान पर, जिसका कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण या अन्यथा समाप्त हो गया है औषधियों और भैषजिक विनिर्माण या उत्पादन में लगे अनुसूचित उद्योगों के लिए विकास परिषद के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है अर्थात् :—

अध्यक्ष :

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री ।

सदस्य :

2. श्री के. वी. रामनाथन्, सचिव, रसायन और उर्वरक विभाग ।
3. श्री एल. कुमार, अध्यक्ष, बी आई सी पी ।
4. श्री एम. वरद राजन, संयुक्त सचिव, (औषधि), रसायन और उर्वरक विभाग ।
5. श्री सी. वी. एस. मनी, विकास आयुक्त, औषधि उद्योग, रसायन और उर्वरक विभाग ।
6. डा. पी. आर. गुप्त, सलाहकार (औषधि), रसायन और उर्वरक विभाग ।
7. डा. एस. एस. भगोथसकर, औषधि नियंत्रक (भारत) डी जी एच एस ।
8. डा. एस. पी. भट्टाचार्य, उपमहानिदेशक (तकनीकी) विभाग, डी जी टी डी ।
9. लैफ्टिनेण्ट जनरल, एल. एन. बुधराजा, महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं ।
10. आयुक्त, खाद्य और औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र ।
11. श्री के. एल. शम्बोगने, औषधि नियन्त्रक, कर्नाटक ।
12. डा. एल. के. बहल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आई डी पी एल ।
13. श्री. ए. स्वामीनाथन, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, एच ए एल ।
14. डा. नित्यानन्द, निदेशक-सी डी आर आई, लखनऊ ।
15. श्री बलदेव सिंह, मुख्य (प्रौद्योगिकी उपयोजना) सी एस आई आर ।
16. श्री सिसिर मित्रा, अध्यक्ष, आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर आफ इंडिया ।
17. डा. ए. पटनी, अध्यक्ष, इण्डियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ।
18. श्री सी. पी. जवेरी, आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन ।
19. श्री के एल शर्मा, अध्यक्ष, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड एसाइड मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन लिमिटेड (पी ए एम डी ए एल) ।
20. श्री बी. यू. शाह, अध्यक्ष, आल इंडिया केमिस्टस एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ।
21. श्री दिनेश जवेरी, अध्यक्ष, बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ।
22. डा. एम जी गर्ग, अवैतनिक महा सचिव, आई एम ए, नई दिल्ली ।
23. डा. सुकोमल सेन, आई एम ए, नई दिल्ली ।
24. डा. (श्रीमती) ए चटर्जी, डीन, निज्ञान संकाय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
25. प्रो. इन्तिसार हुसैन, मुख्य जीव-रसायन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ।

विकास आयुक्त, औषधि उद्योग, परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

[सं. एल 8/2/76-सी डी एन]

बी. आर. आर. अयंगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1979

S.O. 399.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of this Order, the following persons to be members of the Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of drugs and pharmaceuticals, in place of the members appointed under the order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. IDRA/6/1/74 dated the 22nd April, 1974, as amended from time to time, whose tenure of office has expired by efflux of time or otherwise :—

CHAIRMAN

Minister, Petroleum and Chemicals and Fertilizers.

MEMBERS

2. Shri K. V. Ramanathan, Secretary, Deptt. of Chemicals & Fertilizers.
3. Shri L. Kumar, Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices.
4. Shri M. Varadarajan, Joint Secretary, (Drugs), Deptt. of Chemicals and Fertilizers.
5. Shri C.V.S. Mani, Development Commissioner, Drug Industries, Deperatment of Chemicals & Fertilizers.
6. Dr. P. R. Gupta, Adviser (Drugs), Deptt. of Chemicals & Fertilizers.
7. Dr. S. S. Gothoskar, Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services.
8. Shri S. P. Bhattacharya, Dy. Director General, Technical Development, Directorate General of Technical Development.
9. Lt. Gen. L. N. Budhiraja, Director General, Armed Forces Medical Services.
10. Commissioner, Food and Drug Administration, Maharashtra.

11. Shri K. N. Shambogne, Drug Controller, Karnataka.
12. Dr. L. K. Behl, Chairman & Managing Director, Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
13. Shri A. Swaminathan, Chairman & Managing Director, Hindustan Anti-biotics Ltd.
14. Dr. Nityanand, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow.
15. Shri Baldev Singh, Chief (Technology Utilisation) Council of Scientific & Industrial Research.
16. Shri Sisir Mitra, President, Organisation of Pharmaceutical Producers of India.
17. Dr. A. Patani, President, Indian Drug Manufacturers Association.
18. Shri C. P. Zaveri, All India Manufacturers Organisation.
19. Shri K. L. Sharma, President, Pharmaceuticals and Allied Manufacturers & Distributors Association Limited (PAMDAL).
20. Shri V. U. Shah, President, All India Chemists and Druggists Association.
21. Shri Dinesh Zaveri, Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetic Export Promotion Council.
22. Dr. M. G. Garg, Hony. Gen. Secretary, Indian Medical Association, New Delhi.
23. Dr. Sukomal Sen, Indian Medical Association, New Delhi.
24. Dr. (Mrs.) A. Chatterjee, Dean, Faculty of Sciences, Calcutta University, Calcutta.
25. Prof. Intisar Hussain, Head of Bio-Chemistry, Aligarh Muslim University, Aligarh.

The Development Commissioner, Drug Industry, shall act as the Secretary of the Council.

[No. 8(2)/76-CDN]
B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1979

का. आ. 400.—कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2088, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1886 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 के खण्ड 11 में, "पूर्ण-कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश-कालिक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[फा सं. एल डी ओ/55/78-एल-2]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 18th January, 1979

S.O. 400.—Whereas certain draft scheme to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 1886 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2088, dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970.

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 11 of the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-LII]

का. आ. 401.—कलकत्ता छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2089, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (2), तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1886-1887 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कलकत्ता छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 के खण्ड 2 में, "पूर्ण-कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश-कालिक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एल डी ओ/55/78-एल-2]

S.O. 401.—Whereas certain draft scheme to amend the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1886-1887 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2089, dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970.

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Calcutta Chipping and Painting (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 11 of the Calcutta Chipping and Painting (Regulation of Employment) Scheme, 1970, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[F. No LDO/55/78-LII]

का. आ. 402.—मुम्बई डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. 2090, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (2) तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1887 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार के उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के खण्ड 10 में, "पूर्ण-कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश-कालिक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फ. सं. एलडीओ/55/78-एल-2]

S.O. 402.—Whereas certain draft scheme to amend the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 1887 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2090, dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956.

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 10 of the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, after the words "a whole-time", the words the words "or part-time" shall be inserted.

[F. No LDO/55/78-LII]

का. आ. 403.—मुम्बई छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 के संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2091, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1887 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ,

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार के उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मुम्बई छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. मुम्बई शीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 के खण्ड 10 में, "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश कालिक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एल. डी. ओ./55/78-एल.-2]

S.O. 403.—Whereas certain draft scheme to amend the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment Act, 1948 (9 of 1948) at page 1887 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S. O. 2091, dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Bombay Chipping and Painting (Regulation of Employment) Scheme, 1969.

1. Short title and commencement—(1). This Scheme may be called the Bombay Chipping and Painting (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 10 of the Bombay Chipping and Painting (Regulation of Employment) Scheme, 1969, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[F. No. LDO/55/78-L. II]

का. आ. 404.—मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2092, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (2) तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1887-1888 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के खंड 10 में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश कालिक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एल. डी. ओ./55/78-एल.-2]

S.O. 404.—Whereas certain draft scheme to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 1887-1888 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978, under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S. O. 2092, dated the 1st July, 1978, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made availabe to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956.

1. Short title and commencement—(1) This Scheme may be called the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 10 of the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[F. No. LDO/55/78-L. II]

का. आ. 405.—कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2093, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उप-खंड (2) तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1888 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी,

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और जनता से केन्द्रीय सरकार के उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खंड 10 में, "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश कालिक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एल. डी. ओ./55/78-एल.-2]

S.O. 405.—Whereas certain draft scheme to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 1888 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S. O. 2093, dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public in the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959.

1. Short title and commencement—(1). This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 10 of the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[F. No. LDO/55/78-L. II]

का. आ. 406.—विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2094 तारीख 1 जुलाई 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1888-1889 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई, को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खंड 10 में, "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश-कालिक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एल. डी. ओ./55/78-एल.-2]

S.O. 406.—Whereas certain draft scheme to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1888-1889 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2094, dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978.

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959.

(1) Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 10 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[F. No. LDO/55/78-L. II]

का. आ. 407.—मोरमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2095, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1889 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोरमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मोरमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. मोरमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 के खण्ड 11 में, "पूर्ण-कालिक" शब्द के पश्चात, "या अंश-कालिक" शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. एल डी ओ/55/78-एल-2]

S.O. 407.—Whereas certain draft scheme to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 1889 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2095, dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965.

1. Short title and commencement—(1). This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 11 of the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965, after the words "a whole-time" the words "or part-time" shall be inserted.

[No. LDO/55/78-L. II]

का. आ. 408.—काण्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2096, तारीख 1 जुलाई, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 1889 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ,

और उक्त राजपत्र 26 जुलाई 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काण्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम काण्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. काण्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 के खण्ड 11 में, "उपाध्यक्ष बोर्ड का अधिकारी होगा" शब्दों के स्थान पर "उपाध्यक्ष बोर्ड का पूर्ण-कालिक या अंश-कालिक अधिकारी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एल डी ओ/55/78-एल-2]

वी. शंकरलिंगम, अवर सचिव

S.O. 408.—Whereas certain draft scheme to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 1889 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th July, 1978 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2096 dated the 1st July, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th July, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969.

1. Short title and commencement—(1). This Scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 11 of the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, for the words, "The Deputy Chairman shall be an officer of the Board", the words "The Deputy Chairman shall be a whole time or part-time officer of the Board" shall be substituted.

[No. LDO/55/78-L. II]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

(नौवहन महानिदेशालय)

(वाणिज्य नौवहन)

बम्बई, 18 जनवरी, 1979

का. आ. 409.—भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय सं. एमएसई(6)/77-एमटी, दिनांक 13 जून, 1977 के साथ पठित भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक नियोजन कार्यालय, बम्बई), नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौवहन महानिदेशक एतद्द्वारा श्री एन. के. सेन को श्री एन. लतीफ के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय की अधिसूचना, दिनांक 17-4-1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं —

उक्त अधिसूचना के क्रमांक 7 की प्रविष्टि में "श्री एन. लतीफ" के स्थान पर "श्री एन. के. सेन" का नाम प्रतिस्थापित किया जाए ।

[फा. सं. 24(1) सी. आर. ए./76]

के. एस. सिधू, उप महानिदेशक

(Directorate General of Shipping)

MERCHANT SHIPPING

Bombay, the 18th January, 1979

S.O. 409.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Bombay) Rules, 1954, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport, No. MSE(6)/77-MT, dated the 13th June, 1977, The Director General of Shipping hereby appoints Shri N. K. Sen to be a member of vice Shri N. Latif and makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport, Directorate General of Shipping, date 17-4-1978 In the said notification in serial No. 7 for the entry 'Shri N. Latif', the entry 'Shri N. K. Sen' should be substituted.

[F. No. 24(1)CRA/76]

K. S. SIDHU, Dy. Director.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1979

का. आ. 410.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 2 जुलाई, 1977 के पृष्ठ सं. 2410 पर प्रकाशित, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2212, तारीख 17 जून, 1977 को रद्द किया जाता है।

[फा. सं. एल. डी. के./3/78-डी-4]

एस. एन. ककर, उप सचिव (एस)

(Transport Wing)

New Delhi, the 19th January, 1979

S.O. 410.—The Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), notification No. S. O. 2212, dated the 17th June, 1977; published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 2nd July, 1977 at page 2410 is hereby cancelled.

[F. No. LDK/3/78-D.IV]

S. N. KAKAR, Dy. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1979

का० आ० 411—यत: केन्द्रीय सरकार का यह अभिमत है कि भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित सारणी के कालम (2) और (3) में उल्लिखित क्षेत्रों में या क्षेत्रों के अन्तर्गत उपलब्ध किसी खनिज के बारे में यथा-संभव सही-सही जानकारी एकत्र की जाए।

और, यत: कथित क्षेत्रों के बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे स्वीकृत किए गए हैं;

अत: अब, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67), की धारा 18ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, कथित धारा 18ए की उपधारा (1) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को कथित सारणी में उल्लिखित क्षेत्रों में यथा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से एतद्द्वारा व्यापक खोज करने के लिए प्राधिकृत करती है:—

सारणी

क्र० सं०	निक्षेप	स्थान	पट्टेधारी का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	दाहेगांव	ग्राम दाहेगांव, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र खनिज निगम, बम्बई	117.83 एकड़
2.	दाहेगांव	ग्राम दाहेगांव, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	श्री सोमजी मानसिंह खोला, अमदी, पोस्ट घाटनजी, तहसील कोल्हापुर, जिला यवतमाल	27.21 एकड़
3.	परडी	ग्राम परडी, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य खनन निगम, नागपुर	34.46 एकड़
4.	मुरजा	ग्राम मुरजा, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य खनन निगम, नागपुर	10.67 एकड़
5.	गिरोरा	ग्राम आमदी, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	श्री एच० एम० पावरी, नागपुर	25.00 एकड़
6.	गिरोरा	ग्राम जमाडी, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	मैसर्स एसोशिएटेड माइनिंग कंपनी, कलकत्ता	74.00 एकड़
7.	मीरेगांव	ग्राम मीरेगांव, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य खनन निगम, नागपुर	173.42 एकड़
8.	पिम्पलगांव	ग्राम पिम्पल गांव, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	श्री दिनेश बलराज, गड्डावर धनटोली, नागपुर	133.65 एकड़
9	पोहरा	ग्राम पोहरा, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य खनन निगम, नागपुर	84.84 एकड़
10.	नवरगांव, खोबा सहित	ग्राम नवरगांव, और खोबा, ताल्लुक और जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य खनन निगम, नागपुर	101.29 एकड़
11.	नवरगांव	ग्राम नवरगांव, ताल्लुक और जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य खनन निगम, नागपुर	40.17 एकड़
12.	नवरगांव	ग्राम नवरगांव, ताल्लुक और जिला भंडारा	श्री एम० एम० खोला, आदमजी, पोस्ट घाटनजी, तहसील कोल्हापुर, जिला यवतमाल	34.30 एकड़
13.	जामगांव	ग्राम जामगांव, ताल्लुक सकोली, जिला भंडारा	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य खनन निगम, नागपुर	55.09 एकड़

[फा० सं० 1(19)/77-खान 6/एम एम]

एम० एम० बख्शी, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 20th January, 1979

S.O. 411.—Whereas the Central Government is of opinion that for the Conservation and Development of Minerals in India it is necessary to collect as precise information as possible with regard to any mineral available in or under the areas specified in columns (2) and (3) of the Table below :

And whereas in respect of the said areas, mining leases have been granted by the State Government of Maharashtra;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18-A of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government, after consultation with the State Government of Maharashtra as required by the proviso to sub-section (1) of the said section 18-A, hereby authorises the Geological Survey of India to carry out such detailed investigations for the purpose of obtaining such information as may be necessary in the areas specified in the said Table:

TABLE

Sl. No.	Deposit	Location	Name of the lessee	Area
1	2	3	4	5
1.	Dahegaon	Village Dahegaon, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Messrs Maharashtra Mineral Corporation Bombay.	117.83 Acres.
2.	Dahegaon	Village Dahegaon, Taluk Sakoli District Bhandara.	Shri Somji Mansingh Khola of Amdi Post, Ghatanji, Tehsil Kolhapur, District Yeotmal	27.21 Acres.
3.	Pardi	Village Pardi, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Messrs Maharashtra State Mining Corporation, Nagpur.	34.46 Acres.
4.	Murza	Village Murza, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Messrs Maharashtra State Mining Corporation, Nagpur.	10.67 Acres.
5.	Girora	Village Jamdi, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Shri H.M. Pavri, Nagpur	25.00 Acres.
6.	Girora	Village Jamdi, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Messrs Associated Mining Company, Calcutta.	74.00 Acres
7.	Miregaon	Village Miregaon, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Messrs Maharashtra State Mining Corporation, Nagpur.	173.42 Acres
8.	Pimpalgaon	Village Pimpalgaon, Taluk Sakoli, Distt. Bhandara.	Shri Dinesh Balraj Gattawar Dhantoli, Nagpur.	133.65 Acres.
9.	Pohra	Village Pohra, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Messrs Maharashtra State Mining Corporation, Nagpur.	84.84 Acres.
10.	Nawargaon including Chowa	Villages Nawargaon & Chowa, Taluk & District Bhandara.	Messrs Maharashtra State Mining Corporation, Nagpur.	101.29 Acres.
11.	Nawargaon	Village Nawargaon, Taluk and District Bhandara.	Messrs Maharashtra State Mining Corporation, Nagpur.	40.17 Acres.
12.	Nawargaon	Village Nawargaon, Taluk and District Bhandara.	Shri S.M. Khola of Admji post-Ghantanji, Tehsil Kolhapur, District Yeotmal.	34.30 Acres
13.	Jamgaon	Village Jamgaon, Taluk Sakoli, District Bhandara.	Messrs Maharashtra State Mining Corporation, Nagpur.	55.09 Acres.

[File No. 1(49)/77-M VI/MM]

M.M. BAKSHI, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1979

का. आ. 412.—भूमिगत रेल (सकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फरवरी, 1979 के प्रथम दिवस को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं 78/एम टी पी/सी ए/1]

पी. एन. मोहिले, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 20th January, 1979

S.O. 412.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 1979 as the date on which the said Act shall come into force.

[No 78/MTP/CA/1]

P. N. MOHILE, Secy., Railway Board,
Ex-officio Jt. Secy. to the Govt. of India

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1979

का. आ. 413.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के उप-मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त श्री ओम नारायण को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उप-मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों को निष्पादित करने के लिए, उप-मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-2(1)]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 11th January, 1979

S.O. 413.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 (No. 44 of 1954) the Central Government hereby appoints Shri Prem Narayan, Deputy Chief Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as Deputy Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Deputy Chief Settlement Commissioner by or under the said Act.

[No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(i)]

का. आ. 414.—निष्कान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त श्री प्रेम नारायण को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उप-महाअभिरक्षक, को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, उपमहाअभिरक्षक, निष्कान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है। इससे दिनांक 3 अगस्त, 1978 के अधिसूचना सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-(1) का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं. 1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-2(2)]

S.O. 414.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Prem Narayan, Deputy Chief Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as Deputy Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing the functions assigned to such Deputy Custodian General by or under the said Act This supersedes notification No 1(15)/Spl. Cell/78-SS(i) dated the 3rd August, 1978.

[No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(ii)]

का. आ. 415.—विस्थापित व्यक्ति (दावे) पूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त श्री प्रेम नारायण को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उप-मुख्य बन्दोबस्त आयुक्तों को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए उप-मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस-2(6)]

S.O. 415.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Perons (Claims) Supplemeutary Act 1954 (No. 12 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Prem Narayan, Deputy Chief Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as Deputy Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Deputy Chief Settlement Commissioners by or under the said Act.

[No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(vi)]

का. आ. 416.—निष्कान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बिहार सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव श्री एस. पी. केशव को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सहायक महा अभिरक्षक निष्कांत सम्पत्ति को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहायक महा अभिरक्षक, निष्कांत सम्पत्ति के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(1)]

S.O. 416.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Keshav, Joint Secretary in the Revenue and Lands Reforms Department, Government of Bihar, as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act with immediate effect.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(i)]

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1979

का. आ. 417.—निष्कान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बिहार सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग, पटना के उप सचिव श्री एस. एन. प्रसाद को, उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम द्वारा या उनके अधीन बिहार सरकार में स्थित निष्कान्त सम्पत्तियों के संबंध में अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, अतिरिक्त अभिरक्षक, निष्कान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(2)]

New Delhi, the 19th January 1979

S.O. 417.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri S N Prasad, Deputy Secretary to the Government of Bihar, Revenue and L&R Department, Patna as Additional Custodian of Evacuee Property in

addition to his own duties for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under the said Act in respect of evacuee properties in the State of Bihar.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(iii)]

का. आ. 418.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बिहार सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव श्री कमलेश्वरी शरन को, उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, बिहार राज्य में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उप-अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए उप-अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(3)]

S.O. 418.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Kamleshwari Sharan, Under Secretary, Government of Bihar, Revenue and L&R Department as Deputy Custodian of Evacuee Property in addition to his own duties for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian by or under the said Act in respect of evacuee properties in the State of Bihar.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(iii)]

का. आ. 419.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बिहार सरकार के अतिरिक्त कलैक्टरों को, अतिरिक्त कलैक्टरों के रूप में उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, उनके अपने-अपने जिलों में निष्क्रान्त सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सहायक अभिरक्षकों को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहायक अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(4)]

S.O. 419.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Additional Collectors in the State of Bihar as Assistant Custodian of Evacuee Property in addition to their own duties, as Additional Collector for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodians by or under the said Act in respect of evacuee properties in their respective districts.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(iv)]

का. आ. 420.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बिहार सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग में कार्य कर रहे श्री एस. एन. प्रसाद, उप-सचिव को उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(5)]

S.O. 420.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri S. N. Prasad, Deputy Secretary, Revenue and L&R Department, Government of Bihar, as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his duties the functions assigned to him by or under the aforesaid Act.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(v)]

का. आ. 421.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बिहार सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग पटना में कार्य कर रहे श्री कमलेश्वरी शरन, अवर सचिव को, उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, बिहार राज्य में स्थित मुआवजा पूल की सम्पत्तियों के संबंध में, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, बन्दोबस्त अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, बन्दोबस्त अधिकारी (मुख्यालय) के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(6)]

S.O. 421.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Kamleshwari Sharan, Under Secretary, Government of Bihar, Revenue and L&R Department, Patna as Settlement Officer (H.Q.) for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to the Settlement Officer by or under the said Act in respect of properties of the Compensation Pool situate in the State of Bihar.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(vi)]

का. आ. 422.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव श्री एस. पी. केशव को संयुक्त सचिव के रूप में उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, बिहार राज्य में मुआवजा पूल के भाग की भूमियों और सम्पत्तियों के संबंध में, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(7)]

S.O. 422.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Keshav, Joint Secretary to the Government of Bihar, Revenue and Lands Reforms Department as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Joint Secretary the functions assigned to the Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the lands and properties forming part of the Compensation Pool within the State of Bihar.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(vii)]

का. आ. 423.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के अतिरिक्त कलैक्टरों को, अतिरिक्त, कलैक्टरों के रूप में उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, उनके अपने-अपने जिलों में स्थित मुआवजा पूल की सम्पत्तियों के संबंध में, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बन्दोबस्त अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.-2(3)]

S.O. 423.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Additional Collectors of various Districts in the State of Bihar, as Settlement Officers for the purpose of performing, in addition to their own duties, as Additional Collectors the functions assigned to the Settlement Officers by or under the said Act in respect of properties of the Compensation Pool situate in their respective districts.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(viii)]

का. आ. 424.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति का, बिहार राज्य में मुआवजा पूल के भाग की भूमियों तथा सम्पत्तियों के संबंध में बिहार सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के सचिव द्वारा, उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त भी प्रयोग किया जाएगा।

[संख्या-1(1)/विशेष सैल/79-एस. एस.2(10)]

दीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

S.O. 424.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitaton) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that any powers exercisable by it under Section 33 of the said Act shall be exercisable also by the Secretary in the Revenue and Lands Reforms Department of the Government of Bihar in addition to his own duties, in respect of the lands and properties forming part of the Compensation Pool within that State of Bihar.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II(x)]

D. N. ASIJA, Jt. Director.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1979

का. आ. 425.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उप-धारा (3) द्वारा अभिरक्षक के रूप में मुझे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इसके द्वारा, इस विभाग की दिनांक 11 जनवरी, 1979 की अधिसूचना सं.-1 (15)/विशेष सैल/78 एस. एस.-2(इ), द्वारा उप-महाभिरक्षक के रूप में नियुक्त श्री प्रेम नारायण को महा-अभिरक्षक की निम्न शक्तियां सौंपता हूं :—

(1) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियां।

(2) अधिनियम की धारा 10(2)(0) के अधीन किसी भी निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुमोदन की शक्तियां।

(3) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 30-क के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां।

इससे दिनांक 3 अगस्त, 1978 की अधिसूचना सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-2 का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-11(3)]

New Delhi, the 11th January, 1979

S.O. 425.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by Sub-Section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I hereby delegate to Shri Prem Narayan, Deputy Custodian General appointed vide this Department's Notification No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(ii) dated the 11th January, 1979 the followingn powers of the Custodian General :—

(i) Powers under Section 24 and 27 of the Act.

(ii) Powers of approval of transfer of any of evacuee property under Section 10(2)(0) of the Act.

(iii) Powers of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950.

This supersedes notification No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(ii) dated the 3rd August, 1978.

[No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(iii)]

का. आ. 426.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा पुनर्वास विभाग के उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त श्री प्रेम नारायण को, उक्त अधिनियम की धारा 23 और 24 के अधीन तथा इन धाराओं के अंतर्गत अपील सुनने और पुनरीक्षण करने के लिए, अपनी शक्तियां इस शर्त के अधीन सौंपते हैं कि वह ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग किसी भी ऐसे मामले में नहीं करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन अथवा किसी अन्य क्षमता में उन्होंने आदेश दे दिया है। इससे दिनांक 3-8-1978 की अधिसूचना सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-11 (3) का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-11(4)]

S.O. 426.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to Shri Prem Narayan, Deputy Chief Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation his powers under Section 23 and 24 of the said Act for the purpose of hearing appeals and revisions under these Sections subject to the condition that he shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him under Section 22 of the aforesaid Act or in any other capacity. This supersedes Notification No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(iii) dated 3-8-1978.

[No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(iv)]

का. आ. 427.—विस्थापित व्यक्ति (दावे) पूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा मुझे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इसके द्वारा विस्थापित व्यक्ति (दावे) पूरक अधिनियम, 1950 के अधीन निर्णीत मामलों के पुनरीक्षण के संबंध में, विस्थापित व्यक्ति (दावे) पूरक अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अधीन निहित अपनी शक्तियां श्री प्रेम नारायण, उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपता हूं।

[सं.-1(15)/विशेष सैल/78-एस. एस.-11(5)]

कौशल कुमार, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

S.O. 427.—In exercise of the powers conferred on me by Sub-Section (2) of Section 10 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (No. 12 of 1954) I delegate to Shri Prem Narayan, Deputy Chief Settlement Commissioner the powers vested in me under Section 5 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 to be exercised by him in relation to revision of cases decided under the Displaced Persons (Claims) Act, 1950.

[No. 1(15)/Spl. Cell/78-SS. II(v)]

KAUSHAL KUMAR, Chief Settlement Commissioner

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1979

शुद्धि-पत्र

का. आ. 428.—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई-11011/10/76-हिन्दी, दिनांक, 24 अक्तूबर, 1978 के अंग्रेजी पाठ के पैरा 1 के क्रम संख्या 3 के सामने लिखे गये "आफिस आफ दि डायरेक्टर जनरल आफ आब्जर्वेटरीज (मेन)" इन शब्दों के स्थान पर "आफिस आफ दि डायरेक्टर जनरल आफ मीटियारोलाजी (मेन)" ये शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

[सं. ई 11011/10/76-हिन्दी]

प्रह्लाद खन्ना, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 16th January, 1979

Corrigendum

S.O. 428.—The words "Office of the Director General of Observatories (main)" written against S. No. 3 of para 1 of this Ministry's Notification No. E-11011/10/76-Hindi, dated the 24th October, 1978, may be substituted by the words "Office of the Director General of Meteorology (main)".

[No. E-11011/10/76-Hindi]

PRAHLAD KHANNA, Senior Hindi Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

का० आ० 429.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण), केन्द्रीय और अपील नियम, 1965 के नियम 33 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम-मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 623, तारीख 28 फरवरी, 1957 की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में शीर्षक के नीचे :—

(1) "भाग-2 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग" स्तंभ 1 में उपशीर्ष "केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था, कलकत्ता; उच्च प्रशिक्षण संस्था, मद्रास; और फौरमैन प्रशिक्षण संस्था, बंगलौर" के अन्तर्गत 'सभी पद' शब्दों और स्तंभ 2 से 5 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
महिला राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली				
महिला प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, बंगलौर				
सभी पद	प्रधानाचार्य/प्रशिक्षण उपनिदेशक संस्था का प्रधान	प्रधानाचार्य प्रशिक्षण उपनिदेशक संस्था का प्रधान	सभी	महानिदेशक

(2) "भाग 3 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ" स्तंभ 1 में, उपशीर्ष "केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था, कलकत्ता; उच्च प्रशिक्षण संस्था, मद्रास; और फोरमैन प्रशिक्षण संस्था, बंगलौर" के अन्तर्गत 'सभी पद' शब्दों और स्तंभ 2 से 5 तक में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
महिला राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली				
महिला प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, बंगलौर				
सभी पद	प्रधानाचार्य प्रशिक्षण उप निदेशक संस्था का प्रधान	प्रधानाचार्य प्रशिक्षण उप निदेशक संस्था का प्रधान	सभी	महानिदेशक

[सं० डी० जी० ई० टी-1(13)/77-पी०सी० टी (डब्ल्यू० ओ)]

के० एम० बरोई, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st January, 1979

S.O. 429.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 read with Rule 33 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the schedule to the notification of the Govt. of India in the Ministry of Labour No. SRO. 623 dt. the 28th February, 1957, namely :—

In the said schedule under the heading :—

(1) "Part II—General Central Service, Group C" in column 1 under the sub-heading "Central Staff Training and Research Institute, Calcutta ; Advanced Training Institute, Madras; and Foreman Training Institute, Bangalore", after the words "All posts" and the entries relating thereto in columns 2 to 5, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
National Vocational Training Institute for Women, New Delhi.				
Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore.				
All posts.	Principal/Dy. Director of Training—Head of the Institute.	Principal/Dy. Director of Training—Head of the Institute.	All	Director General

(2) "Part III—General Central Service, Group D", in column 1 under the sub-heading "Central Staff Training and Research Institute, Calcutta; Advanced Training Institute, Madras; and Foremen Training Institute Bangalore", after the words "All posts", and the entries relating thereto in columns 2 to 5, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
National Vocational Training Institute for Women, New Delhi.				
Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore.				
All posts.	Principal/Dy. Director of Training—Head of the Institute.	Principal/Dy. Director of Training—Head of the Institute.	All	Director General.

[No. D.G.E.T-1(13)/77-PCT(WO)]

K. S. BAROI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1979

का. आ. 430.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलमेचस एण्ड कालियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 23, कॉनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1, जिसके अन्तर्गत 12, जेसोर रोड, कलकत्ता-28, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस· 35017(44)/78-पी. एफ. 2]

New Delhi, the 19th January, 1979

S.O. 430.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Elmechs and Colliers (Private) Limited, 23, Canning, Street, Calcutta-1 including its branch at 12, Jessore Road, Calcutta-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1977.

[No. S. 35017/44/78-PF.II]

का. आ. 431.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डेल्टा कम्युनिकेशन्स, 5-बी, तिलजला रोड, कलकत्ता-46, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35017(69)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 431.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Delta Communications, 5-B, Tiljala Road, Calcutta-46, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1978.

[No. S. 35017(69)/78-PF.II]

का. आ. 432.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स देवी प्रसाद अरुण कुमार (प्राइवेट) लिमिटेड, 30/31, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-70, जिसके अन्तर्गत 13, नूर्मल लोहिया लेन, कलकत्ता-70, स्थित उसकी दुकान भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35017(70)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 432.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Devi Prasad Arun Kumar (Private) Limited, 30/31, Kalakar Street, Calcutta-70 including its Shop at 13, Noormal Lohia Lane, Calcutta-70, have agreed that the provisions of the Employees' Provident

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into free on the first day of December, 1977.

[No. S. 35017(70)/78-PF. II]

का. आ. 433.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी. टी. इण्डस्ट्रियल कम्पनी, बी.टी. रोड, पानीहाटी, 24 परगना, पश्चिमी बंगाल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35017(72)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 433.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B.T. Industrial Company, B.T. Road, Panihati, 24-Parganas, West Bengal, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1978.

[No. S. 35017(72)/78-PF-II]

का. आ. 434.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ट्यूबोपैक (इंडिया) लिमिटेड, 4/1, परमहंस देब रोड, कलकत्ता-27, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35017(73)/78-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 434.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tubopac (India) Limited, 4/1, Paramhans Deb Road, Calcutta-27, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1977.

[No. S-35017(73)/78-PF. II(i)]

का. आ. 435.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सोनोडाइने टेलिविजन्स कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 144, ब्लाक जी, नया अलीपुर, कलकत्ता-53, जिसके अन्तर्गत (1) 7, सुरीन राय रोड, कलकत्ता-34, और (2) 18, ब्लाक 'एच', नया अलीपुर, कलकत्ता-700053, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35017(74)/78-पी. एस. 2(1)]

S.O. 435.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sonodyne Television, Company (Private) Limited, 144, Block 'G', New Alipore Calcutta-53 including its Branch at (1) 7, Surin Roy Road, Calcutta-700034 and (2) 18, Block-H, New Alipore, Calcutta-700053 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1978.

[No. S. 35017(74)/78-PF. II(i)]

का. आ. 436.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 अप्रैल, 1978 से मैसर्स सोनोडाइने टेलिवीजन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 144, ब्लाक 'जी', नया अलीपुर, कलकत्ता-53 जिसके अन्तर्गत (1) 7, सुरीन राय रोड, कलकत्ता-34 और (2) 18, ब्लाक-एच, नया अलीपुर कलकत्ता-53 स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस. 35017(74)/78-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 436.—In exercise of the powers conferred by the first provision to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of April, 1978, the establishment known as Messrs Sonodyne Television Company (Private) Limited, 144, Block 'G' New Alipore, Calcutta-700053, including its branches at (1) 7, Surin Roy Road, Calcutta-700034 and (2) 18, Block-H, New Alipore, Calcutta-700053 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017(74)/78-PF. II(ii)]

का. आ. 437.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. पी. कमर्शियल कार्पोरेशन, 10, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35017(75)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 437.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M.V. Commercial Corporation, 10, Government Place East, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1978.

[No. S. 35017(75)/78-PF. II]

का. आ. 438.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज, महात्मा गांधी क्रास रोड, नं. 4, कांडीवली (पश्चिम), मुम्बई-67, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(109)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 438.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mody Industries, Mahatma Gandhi Cross Road, No. 4, Kandivli, (West), Bombay-67, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made appliable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S. 35018(109)/78-PF. II]

का. आ. 439.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्टरनेशनल शिपराइटस, 89, फ्रेरे रोड, श्री कृष्ण भवन, मुम्बई-9, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(110)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 439.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Shipwrights, 89, Frere Road, Shri Krishna Bhavan, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1977.

[No. S. 35018(110)/78-PF. II]

का. आ. 440.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स इण्डिया लिमिटेड, इम्प्लाइज कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, रामनगर, मेट्टूर डैम नं. 3, सालेम जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(219)/78-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 440.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majortiy of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemicals and Plastics India Limited, Employees' Co-operative Stores Limited, Ram Nagar, Mettur Dam No. 3, Salem District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S. 35019(219)/78-PF. II(i)]

का. आ. 441.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 अगस्त, 1976 से मैसर्स कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स इण्डिया लिमिटेड, इम्प्लाइज कोआपरेटिव स्टोर्स लि., राममगर, मीट्टूर डैम नं. 3, सालेम जिला, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है;

[सं. एस. 35019(219)/78-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 441.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees, Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1976 the establishment known as Messrs, Chemicals and Plastics India Limited, Employees, Co-operative Stores Limited, Ram Nagar, Mettur Dam No. 3, Salem District, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(219)/78-PF. II(ii)]

का. आ. 442.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेरीमठा इण्डस्ट्रीज, थलोर डाकघर, इडाक्कुन्नी ग्राम, त्रिचुर तालुक, त्रिचुर जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उप-बन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(264)/78-पी. एफ. 2]

S.O. 442.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mary Matha Industries, Thalore Post Office, Edakkunni Village, Trichur Taluk, Trichur District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Goverment hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S. 35019(264)/78-PF. II]

का. आ. 443.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिनेथेटिक डिटरजेन्ट्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस और फैक्टरी, कोमूल-62, मरोज़ूहा ग्राम, तलीपरम्बा तालुक, कैन्नानोर, केरल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उप-बन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(268)/78-पी. एफ. 2 (1)]

S.O. 443.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Synthetic Detergents Limited, Registered Office and Factory, Komul-62, Marozha Village, Taliparamba Taluk Cannanore, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1978.

[No. S. 35019(268)/78-PF. II(i)]

का. आ. 444.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब इलेक्ट्रानिक कम्पोनेंट्स लिमिटेड, ए-28, पेज 7, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मोहली (पंजाब), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उप-बन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(269)/78-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 444.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Punjab Electronic Components Limited, A-28, Phase VII, Industrial Estate, Mohali (Punjab), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 195 2(19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1978.

[No. S. 35019(269)/78-PF. II(i)]

का. आ. 445.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 अक्तूबर, 1978 से मैसर्स पंजाब इलैक्ट्रानिक कम्पोनेंट्स् लिमिटेड, ए-28, फेज 7, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मोहली (पंजाब), नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35019(269)/78-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 445.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1978 the establishment known as Messrs. Punjab Electronic Components Limited, A-28, Phase VII, Industrial Estate, Mohali (Punjab) for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35019(269)/78-PF. II(ii)]

का. आ. 446.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेण्ट जैवियर्स इण्डस्ट्रियल स्कूल, सतरामपड्, इलूरू नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(270)/78-पी. एफ.-2]

S.O. 446.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs St. Xaviers Industrial School, Satrampadu, Eluru, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1977.

[No. S. 35019/270/78-PF. II]

का. आ. 447.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बाब्बीली इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 110, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद-3 जिसके अन्तर्गत नेहरू नगर कम्पलेक्स-रामनगर, विशाखापत्तनम-3, स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35019(399)/78-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 447.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bobbili Electronics (Private) Limited, 110, Sarojini Devi Road, Secunderabad-3 including its branch at Nehru Nagar Complex, Ramnagar, Vishakhapatnam-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.

[No. S-35019(399)/78-P.F. II(i)]

का. आ. 448.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1977 से मैसर्स बाब्बीली इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 110, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद-3, जिसके अन्तर्गत नेहरू नगर कम्पलेक्स, 4 रामनगर, विशाखापत्तनम-3, स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस. 35019(399)/78-पी. एफ. 2(2)]

हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

S.O. 448.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of July, 1977 the establishment known as Messrs. Bobbili Electronics (Private) Limited, 110, Sarojini Devi Road, Secunderabad-3 including its branch at Nehru Nagar Complex, Ramnagar, Vishakhapatnam-3 for the purposes of the said proviso.

[No. S.-35019(399)/78-PF. II(ii)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1979

का०आ० 449.—मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की चिनाकुरी 3 पिट कोलियरी डाकघर सुन्दरचक, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व कोलियरी मजदूर सभा (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) आसनसोल करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान् है ;

और उक्त प्रबन्धतंत्र और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, उसे 8 जनवरी, 1979 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के दिशेरगढ़ क्षेत्र चिनाकुरी के उप क्षेत्र के अन्तर्गत चिनाकुरी 3 पिट कोलियरी डाकघर सुन्दरचक जिला बर्दवान के नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले ।

1. श्री एस०एम० असरफ, सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी, दिशेरगढ़ क्षेत्र, मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड बोराचक हाउस डाकघर सीताराम पुर, जिला बर्दवान ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. श्री सुनील सेन, संगठन सचिव, कोलियरी मजदूर सभा, (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) पर्वत होटल, जी० टी० रोड, आसनसोल ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री के० अरुन, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(1) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :

(क) क्या मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की चिनाकुरी 3 पिट कोलियरी, डाकघर सुन्दरचक, जिला बर्दवान के टिम्बर मिस्त्रियों तथा टिम्बर मजदूरों (टिम्बर मैन) द्वारा खान के अन्दर छतों को सहारा देने/सुरक्षित बनाने के लिए लकड़ी के खम्भों और बल्लियों के स्थान पर स्टील गार्डर्स और मेटल शीटों को लगाने के उनके कार्यभार में कोई वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हाँ, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ?

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

1. उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक, चिनाकुरी उपक्षेत्र मैसर्स कोलफील्डस लिमिटेड, डाकघर सुन्दरचक (बर्दवान)

2. संगठन सचिव, कोलियरी मजदूर सभा (ए० आई०टी०यू०सी०) पर्वत होटल, जी० टी० रोड, आसनसोल (बर्दवान)

(3) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या लगभग 2000

(4) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	159

माध्यस्थम अपना पंचाट भारत के राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिन (120 दिन) की कालावधि या इतने समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा।

ह०/-(सुनील सैन) तारीख 27-11-1978	ह०/- (एम० एम० असरफ) तारीख 27-11-78
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले साक्षी	नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले
1. ह०/-अपाठ्य (27-11-78)	इस मामले में, मैं मध्यस्थम बनाने के लिए सहमत हूं।
2. ह०/-(अपाठ्य (27-11-78) तारीख—27 नवम्बर, 1978 आसनसोल ए०एल०सी०(सी०)	ह०/-(के० शरन) तारीख 19-12-1978
आसनसोल फाइल संख्या 1(193)/78-ई-3.	उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली।

[संख्या एल-19013 (2)/79-डी4 (बी)]

भूपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 1979

S.O. 449.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Chinakuri 3 Pit Colliery, P.O. Sunderchak, Distt. Burdwan of Messrs Eastern Coalfields Limited and their workmen represented by Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) Asansol.

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement, which was received by the Central Government on 8th January, 1979.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes, Act, 1947)

BETWEEN

Name of the Parties :

Representing the employer of Chinakuri 3 pit Colliery under Chinakuri Sub-Area Dishergarh Area of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Sunderchak, Distt. Burdwan.	Shri S.M. Asraf, Asstt. Chief Personnel Officer, Dishergarh Area, M/s. Eastern Coalfields Limited, Borachak House, P.O. Sitarampur, Distt. Burdwan
Representing the workmen	Shri Sunil Sen, Orgg. Secretary Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) Pravat Hotel, G. T. Road, Asansol.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri K. Sharan, Dy. Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi :

(1) Specific matters in dispute :

(a) "Whether there is any increase in the work-load of the Timber Mistries and Timber Mazdoors (Timbermen) of Chinakuri 3 Pit Colliery, P.O. Sunderchak, Distt. Burdwan of M/s. Eastern Coalfields Limited in their job of setting up steel gurders and metal sheets in supporting/securing roofs inside the mine, in place of wooden poles and bars ?

(b) If so, to what relief the workmen are entitled to and from what date."

(2) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment of undertakings involved :

(i) The sub-Area Manager, Chinakuri Sub-Area, M/s. Eastern Coalfields Limited, P. O. Sunderchak (Burdwan).

(ii) The Orgg. Secretary, Colliery Mazdoor Sabha (AITUC) Pravat Hotel, G.T. Road, Asansol (Burdwan).

(3) Total No. of workmen employed in the undertaking effected : 2000 Approx.

(4) Estimated No. of workmen effected or likely to be effected : 159.

The Arbitrator shall make his Award within a period of one hundred and twenty days (120 days) or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing, from the date of publication of this Agreement in the Gazette of the Government of India.

Sd/- (Sunil Sen) Dt. 27-11-1978
(Representing the workmen) (Sd./- S. M. Asraf) Dt. 27-11-1978
(Representing the employer)

Dated : 27th November, 1978.

Asansol ALO(C) Witness : Sd./-illegible, Dt. 27-11-1978

Asansol ALO(C) Witness : Sd./- illegible, Dt. 27-11-1978

In hereby agree to act as an Arbitrator in this Case.

Sd/- (K. Sharan) Dt. 19-12-78

Dy. Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi

[No. L-19013(2)/79-D. IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(Department of Food)

New Delhi, the 31st January, 1979

CORRIGENDUM

S.O. 450.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S. O. 56(E) dated the 29th January, 1979 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 29th January, 1979, at page 102—

(i) for the word "a" occurring in line 6 of the penultimate paragraph read "in"; and

(ii) in the last line of the last paragraph after the words "30th day of January" add the figure "1979".

[No. SUG/121/78-79]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी 1979

का० आ० 451.— बासमती चावल (निर्यात) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1978 का एक प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास) की अधिसूचना सं० का० आ० 1738 तारीख 31 मई 1978 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 17 जून, 1978 पृष्ठ 1618 से 1622 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव मांगें गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी ।

और उक्त राजपत्र 17 जून, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का नाम बासमती चावल (निर्यात) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये भारत में उत्पादित बासमती चावल को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से, भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिनसे कृषि विपणन सलाहकार द्वारा ऐसा प्राधिकार-पत्र जारी किया गया है जिसमें उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकायों को एगमार्क के अधीन बासमती चावल को श्रेणीकृत और चिह्नांकित करने का प्राधिकार दिया गया है ।

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. श्रेणी नाम.—बासमती चावल की क्वालिटी को उपदर्शित करने वाला श्रेणी नाम, अनुसूची 2 और 3 के स्तम्भ 1 में यथा वर्णित होगा ।

4. क्वालिटी की परिभाषा.—श्रेणी नाम द्वारा यथा उपदर्शित क्वालिटी अनुसूची 2 और 3 की अनुसूची में प्रत्येक श्रेणी नाम के सामने यथा वर्णित होगी ।

5. श्रेणी नाम चिह्न : श्रेणी नाम चिह्न, एक ऐसा लेबल होगा जिसका डिजाइन (जिसमें ऐगमार्क शब्द सहित भारत का मानचित्र और "भारतीय उत्पाद" शब्दों सहित उगते हुए सूर्य का चित्र होगा) अनुसूची 1 में दी गई डिजाइन से मिलता जुलता होगा और उस पर श्रेणी नाम विनिर्दिष्ट होगा ।

6. चिह्नांकन की पद्धति.—(1) श्रेणी नाम चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से प्रत्येक आधान पर मजबूती से चिपकाया जाएगा ।

(2) श्रेणी नाम चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक आधार पर स्पष्टतया ऐसी विशिष्टियां ऐसी रीति से अंकित होंगी जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और अमिट रूप से अंकित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) खेप की क्रम संख्यांक

(ख) पैकिंग की तारीख

(ग) पैकर का नाम

(घ) पैकिंग का स्थान

(3) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार की पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके, आधान पर अपना निजी व्यापार चिह्न, उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से अंकित कर सकेगा :

परन्तु यह तब जब कि निजी व्यापार चिह्न, इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी नाम चिह्न द्वारा बासमती चावल की उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करें ।

7. पैकिंग की पद्धति.—(1) जूट या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पदार्थ से बने मजबूत, स्वच्छ और सूखक भाधान ही पैकिंग के लिए प्रयुक्त होंगे । वे कीटाणु-संक्रमण या फफूंदी संदूषण से मुक्त होंगे और किसी भी अवांछनीय गंध से भी मुक्त होंगे ।

(2) आधान, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से, मजबूती से बन्द किए जाएंगे और उन पर सील लगाई जाएगी ।

(3) प्रत्येक पैकेज में केवल एक ही श्रेणी नाम और वाणिज्यिक वर्णन का बासमती चावल होगा।

8. प्राधिकार-पत्र की विशेष शर्तें :

साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, इन नियमों के प्रयोजनार्थ जारी किए गए प्रत्येक प्राधिकार-पत्र की शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) प्राधिकृत पैकर, बासमती चावल के परीक्षण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए ।

(ख) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी को नमने लेने, परीक्षण करने आदि के लिए यथावश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करेगा ।

अनुसूची 1

श्रेणी नाम चिह्न के लिए डिजाइन

[नियम 5 देखिए]

(भारत का मानचित्र आदि)

एगमार्क प्रतिकृति

अनुसूची 2

[नियम 3 और 4 देखें]

(केवल निर्यात के लिए) बासमती कच्चे मशीन कुटे चावल का श्रेणी नाम और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

विशेष लक्षण (छूट की अधिकतम सीमा) भार के अनुसार प्रतिशत

श्रेणी नाम	चावल से भिन्न पदार्थ	टूटे दाने और किनकी	अन्य चावल जिसमें लाल दाने सम्मिलित हैं*	क्षतिग्रस्त, विवर्ण और चाकी दाना	नमी
1		2	3	4	5	6
विशेष		0.5	5.0	10.0	1.0	14.0
		1.0	10.0	15.0	2.0	14.0
		2.0	10.0	20.0	3.0	14.0

सामान्य लक्षण :—

1. दाने श्वेत, क्रीमी श्वेत या स्लेटी से रंग के लम्बे-पतले और पारभासक होंगे।

2. चावल:—

(क) ओरिजा सेटाइवा की सूखी परिपक्व गिरी और समरूप आकार, आकृति तथा रंग के होंगे।

(ख) में कच्ची और पक्की दोनों अवस्थाओं में, बासमती चावल की लाक्षणिक प्राकृतिक सुगन्ध काफी मात्रा में होगी।

(ग) कृत्रिमतः रंजित किए हुए नहीं होंगे और प्रमार्जक मुक्त होंगे।

(घ) के 3 प्रतिशत तक दाने चोकर मुक्त हो सकते हैं।

(ङ) फफूंदी और दुर्गन्ध से मुक्त होंगे और उनमें फफूंद का कोई चिह्न नहीं होगा तथा उसमें जाला और जीवित या मृत घुन भी नहीं होंगे।

(च) लम्बाई में 6.0 मिमी० या अधिक के होंगे तथा लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3.0 या अधिक होगा ;

(छ) अच्छी बिक्री योग्य हालत में होंगे।

*लाल दाने 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

परिभाषाएं :—

(1) चावल से भिन्न पदार्थ.—इसमें धूल, पत्थर, मिट्टी के ढेले, चोकर, तिनके भूसी या किसी अन्य प्रकार की अशुद्धि अभिप्रेत है।

(2) टूटे हुए दाने और किनकी.—इसमें चावल की गिरी के वे टुकड़े सम्मिलित हैं जो पूर्ण गिरी के तीन चौथाई भाग से छोटे हैं। पूर्ण गिरी के तीन-चौथाई भाग से छोटी गिरी के टुकड़ों को किनकी समझा जाएगा।

(3) अन्य चावल जिसमें लाल दाने भी हैं.—इनमें विपरीत और/या घटिया किस्म के चावल समाविष्ट हैं। लाल दाने वे गिरियां, पूर्ण या टूटी हैं जिनकी 25 प्रतिशत या अधिक सतह पर लाल चोकर लगा होगा।

(4) क्षतिग्रस्त, विवर्ण और चाकी दाने.—इसमें चावल की गिरियां—टूटी हुई, किनकी या साबित हैं जो आन्तरिक रूप से क्षतिग्रस्त या विवर्ण है, जिससे उनकी क्वालिटी तात्विक रूप से प्रभावित हुई है। चाकी दाने वे हैं, जिनका कम-से-कम आधा भाग दूध या सफेद और भुरभुरा है।

अनुसूची-3

(नियम 3 और 4 देखें)

(केवल निर्यात के लिए) बासमती कच्चे कुटे चावल की श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा विशेष लक्षण (सहायता की अधिकतम सीमा) भार के अनुसार प्रतिशत

श्रेणी अभिधान	चावल से भिन्न बाह्य पदार्थ	टूटे दाने और किनकी	अन्य चावल जिसमें लाल दाने सम्मिलित हैं††	क्षत और विक्षत, विवर्ण और चाक जैसा दाना	नमी
1	2	3	4	5	6
विशेष	0.5	5.0	10.0	1.0	14.0
क.	1.0	10.0	15.0	2.0	14.0
ख.	2.0	10.0	20.0	3.0	14.0

सामान्य लक्षण :—

1. दाने श्वेत क्रीमी या स्लेटी से रंग के लम्बे-पतले और पारभासक होंगे।

2. चावल.—

(क) ओरिज़ा सातीवा की सूखी परिपक्व गिरी और समरूप आकार आकृति तथा रंग के होंगे।

(ख) में कच्चे और पकी दोनों अवस्थाओं में बासमती चावल की लाक्षणिक प्राकृतिक सुगन्ध काफी मात्रा में होगी।

(ग) कृत्रिमतः रंजित किए हुए नहीं होंगे और मार्जन—कर्मकों से मुक्त होंगे।

(घ) इसमें 3 प्रतिशत तक दाने हो सकते हैं जिन पर अच्छा खासा चोकर हो,

(ङ) फफूंदी गन्ध और दुर्गन्ध से मुक्त होंगे और उसमें फफूंद का कोई चिह्न नहीं होगा तथा उसमें जाली और जीवित या मृत घुन भी नहीं।

(च) में लम्बाई 6.0 मिमी० और अधिक तथा लम्बाई चौड़ाई का अनुपात 3.0 और अधिक होगा।

(छ) अच्छी बिक्री योग्य हालत में होंगे।

††लाल दाने 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

परिभाषाएं :—

(1) बाह्य पदार्थ.—इसमें धूल, पत्थर मिट्टी के ढेले, चोकर, तिनके भूसी या किसी अन्य प्रकार की गन्दगी अभिप्रेत है।

(2) टूटे हुए दाने और किनकी.—इसमें चावल की वह गिरी सम्मिलित है जो सम्पूर्ण गिरी का तीन बटा चार हो। सम्पूर्ण गिरी के एक बटा चार से छोटी गिरी के टुकड़ों को किनकी समझा जाएगा।

(3) अन्य चावल जिसमें लाल दाने सम्मिलित हैं.—इनमें विपरीत और/या घटिया किस्म के चावल समाविष्ट हैं। लाल दाने वे गिरियां होंगी, सम्पूर्ण या टूटे दाने, जिनकी 25 प्रतिशत या अधिक सतह लाल चोकर से लेपित होगी।

(4) क्षत-विक्षत, विवर्ण और चाक जैसे दाने.—इसमें चावल की गिरियां, टूटी हुई, किनकी या साबित होंगी जो आन्तरिक रूप से क्षत या विवर्ण हों जिससे उनकी क्वालिटी तात्विक रूप से प्रभावित हो। चाक जैसे दाने वे होंगे जिनमें कम से कम आधा रंग में दूध सा सफेद और भुरभुरा हो।

[सं० 13-9/77 ए० एम०]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 30th January, 1979

S.O. 451.—Whereas a draft of the Basmati Rice (Export) Grading and Marking Rules, 1978 was published, as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 1618 to 1622 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th June, 1978, under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development) No. S.O. 1738, dated the 31st May, 1978, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date of publication of the said notification;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the 17th June, 1978;

And whereas, the said Gazette was made available to the public have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

Basmati Rice (Export) Grading and Marking Rules, 1979.

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Basmati Rice (Export) Grading and Marking Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to basmati rice produced in India.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means any person or body of persons who has been issued a certificate of authori-

sation by the Agricultural Marketing Adviser authorising such person or body of persons to grade and mark basmati rice under Agmark.

(c) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designation.—Grade designation to indicate the quality of basmati rice shall be as set out in column 1 of the Schedules II and III.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the grade designation shall be set out against each grade designation in Schedules II and III.

5. Grade designation marks.—The grade designation mark shall consist of a label bearing a design (consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and the figure of the rising sun with the words "Produce of India" and भारतीय उत्पाद resembling the one) as set out in Schedule I and specifying the grade designation.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each container in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation mark, each container shall be clearly marked with such particulars and in such manner as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser.

The following particulars shall also be clearly and indelibly marked on each container, namely :—

(a) the serial number of the lot,

(b) date of packing,

(c) name of the packer,

(d) place of packing.

(3) An authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container in a manner approved by the said officer, provided that the private trade mark does not represent quality or grade of basmati rice different from that indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with the rules.

(7) Method of packing.—(1) Only sound, clean and dry containers made of jute or any other material as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser shall be used for packing. They shall be free from any insect infestation or fungus contamination and also free from any undesirable smell.

(2) The containers shall be securely closed and sealed in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) Each package shall contain basmati rice of the trade description and one grade designation only.

8. Special conditions of certificate of authorisation.—In addition to the conditions specified in rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the following shall be the conditions of every certificate of authorisation issued for the purpose of these rules, namely :—

(a) An authorised packer shall make such arrangements for testing basmati rice as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

(b) An authorised packer shall provide all facilities as may be necessary for sampling, testing, etc. to the inspecting officers duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser, in this behalf.

SCHEDULE-I

Design for the Grade Designation Mark

(See rule 5)

SCHEDULE-II

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Basmati raw milled rice (for Export only)

Grade designation	Special characteristics (Maximum limits of tolerance) Per cent by with weight					General characteristics
	Foreign matter	Brokens and fragments*	Other rice including red grains*	Damaged, discolored and chalky grains	Moisture	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	0.5	5.0	10.0	1.0	14.0	1. The grains shall be long slender of white, creamy-white or greyish colour and translucent.
A	1.0	10.0	15.0	2.0	14.0	2. The rice:
B	2.0	10.0	20.0	3.0	14.0	(a) Shall be the dried matured kernels of Oryza sativa; and have uniform size, shape and colour ;
						(b) Shall possess in a marked degree the natural fragrance characteristic of Basmati rice both in the raw and cooked state;
						(c) Shall not have been artificially coloured and shall be free from polishing agents;
						(d) May contain upto 3 per cent of grains with an appreciable amount of bran thereon;
						(e) Shall be free from musty of obnoxious odour and shall carry no sign of mould or containing webs and dead or live weevils;
						(f) Shall have length 6.0 mm. and above and length breadth ratio 3 and above;
						(g) Shall be in sound merchantable condition.

*Red grains shall not exceed 2%.

Definitions:— (i) Foreign matter: Shall include dust, stones, lumps of earth, chaff, stem or straw and any other impurity.

(ii) Brokens and Fragments: Shall include pieces of rice kernels which are less than three-fourth of a whole kernel. The pieces of kernels, smaller than one-fourth of the whole kernels, shall be trated as fragments.

(iii) Other rice including red grains: Shall consist of contrasting and/or inferior varieties of rice. Red grains shall be the kernels, whole or broken, which have 25 per cent or more of their surface coated with red bran.

(iv) Damaged, discoloured and chalky grains: Shall include rice kernels—brokens, fragments or whole that are internally damaged or discoloured, materially affecting the quality. Chalky grains shall be the grains at least half of which is milky white in colour and brittle in nature.

SCHEDULE III

(See rules 3 and 4)

Grade designational definition of quality of Basmati parbolled rice (for export only)

Grade designation	Special characteristics (Maximum limits of tolerance Per cent by weight)					General characteristics
	Foreign matter	Brokens & fragments	Other rice including red grains*	Damaged, discoloured and chalky grains	Moisture	
1	2	3	4	5	6	7
Special	0.5	5.0	10.0	1.0	14.0	1. The grains shall be long slender of creamy-white brownish or grevish colour and translucent.
A	1.0	10.0	15.0	2.0	14.0	
B	2.0	10.0	20.0	3.0	14.0	2. The rice :
						(a) Shall be the dried matured kernels of Oryza; sativa and have uniform size, shape and colour
						(b) Shall possess in a marked degree the natural fragrance characteristic of Basmati rice both in the raw and cooked state;
						(c) Shall not have been artificially coloured and shall e free from polising agents;
						(c) May contain upto 3 per cent of grains with a appreciable amount of bran thereon;
						(e) Shall be free from musty or obnoxious odour and shall carry no sign of mould or containing webs and dead or live weevils;
						(f) Shall have length 6.0 mm. and above and length breadth ratio 3 and above;
						(g) Shall be in sound merchantable condition

*Red grains shall not exceed 2%.

Definitions: (i) Foreign matter: Shall include dust, stones, lumps of earth, chaff, stem or straw and any other impurity.

(ii) Brokens and Fragments: Shall include pieces of rice Kernels which are less than three-fourth of a whole kernel. The pieces of kernels, smaller than one-fourth of the whole kernels shall be treated as fragments.

(iii) other rice including red grains: Shall consist of contrasting and/or inferior varieties. Red grains shall be the kernels, whole or broken, which have 25 per cent or more of their surface coated with red bran.

(iv) Damaged, discoloured and chalky grains: Shall include rice, kernels, broken, fragments or whole that are internally damaged or discoloured, materially affecting the quality. Chalky grains shall be the grains at least half of which is milky white in colour and brittle in nature.

[No. F. 13-9/77-AM]

PRAKASH, CHANDER, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979